पंचम माला, खंड 62 अंक 46, मंगलवार, 25 मई, 1976/4 ज्येष्ठ, 1898 (शक)

Fifth Series, Vol. LXII No. 46 Tuesday, May 25, 1976 /Jyaistha 4, 1898 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[सोलहवां सत्र
Sixteenth Session]

5th Lok Sabha

[खंड 62 में अंक 41 से 48 तक हैं
Vol. LXI contains Nos. 41 to 48]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

[यह ला· 'द-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी
स ।५ए गए भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

1—515LSS/76

विषय सूची/CONTENTS

अंक 46, मंगलवार, 25 मई, 1976/4 ज्येष्ठ, 1898 (शक)

No. 46, Tuesday, May 25, 1976/Jyaistha 4, 1898 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
सभा पटल पर रखे गए पत्र	PAPERS LAID ON THE TABLE	1—4
राज्य सभा से संदेश	Message from Rajya Sabha	4
याचिका समिति—	Committee on Petitions—	
31वां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश	Thirty-first Report and Minutes	5
बम्बई हाई में कच्चे तेल के वाणिज्यक उत्पादन के बारे में वक्तव्य	Statement *Re.* Commencement of Commercial Production of Crude Oil in the Bombay High—	
श्री के० डी० मालवीय	Shri K. D. Malaviya	5—6
हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के पुनर्गठन के बारे में वक्तव्य	Statement *Re.* Restructuring of Hindustan Steel Limited—	
श्री चन्द्रजीत यादव	Shri Chandrajit Yadav	6—8
संविधान (42वां संशोधन) विधेयक	Constitution (Forty Second Amendment) Bill—Motion to consider—	
विचार करने का प्रस्ताव		
डा० वी० ए० सैयद मुहम्मद	Dr. V. A. Sayid Muhammad	8—29
श्री सोमनाथ चटर्जी	Shri Somnath Chatterjee	9—11
श्री जगन्नाथ राव	Shri Jagannath Rao	11—12
श्री इन्द्रजीत गुप्त	Shri Indrajit Gupta	12—15
श्री सी० एम० स्टीफन	Shri C. M. Stephen	15—16
श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह	Shri Satyendra Narayan Sinha	16
श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी	Shri Dinesh Chandra Goswami	16—18
श्री सी० टी० दण्डपाणि	Shri C. T. Dhandpani	18—19
श्री के० सूर्यनारायण	Shri K. Suryanarayana	19—20
श्री जी० विश्वनाथन्	Shri G. Viswanathan	20
श्री बी० आर० शुक्ल	Shri B. R. Shukla	21
सरदार स्वर्ण सिंह सोखी	Sardar Swaran Singh Sokhi	21—22
श्री हरी सिंह	Shri Hari Singh	22
डा० एच० पी० शर्मा	Dr. H. P. Sharma	22—23
श्री के० नारायण राव	Shri K. Narayana Rao	23
श्री बी० वी० नायक	Shri B. V. Naik	23—24
श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे	Shri N. K. P. Salve	24—25
श्री धरनीधर दास	Shri Dharnidhar Das	25
श्री के० मायातेवर	Shri K. Mayathevar	25—26
डा० कैलाश	Dr. Kailash	26
खण्ड 2, 3 और 1	Clauses 2, 3 and 1	
पारित करने का प्रस्ताव, संशोधित रूप में	Motion to pass, as amended	
डा० वी० ए० सैयद मुहम्मद	Dr. V. A. Seyid Muhammad	30—33

लोक सभा
LOK SABHA

मंगलवार, 25 मई, 1976/4 ज्येष्ठ, 1898 (शक)
Tuesday, May 25, 1976/Jyaistha 4, 1898 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

सभा पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

भारत ओपथेलमिक ग्लास लिमिटेड, दुर्गापुर और भारत हेवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड के वर्ष 1974-75 की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन

उद्योग और नागरिक आपूर्ति मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(क) (1) भारत ओपथेलमिक ग्लास लिमिटेड, दुर्गापुर के वर्ष 1974-75 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) भारत ओपथेलमिक ग्लास लिमिटेड, दुर्गापुर का वर्ष 1974-75 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल० टी० 10903/76)

(ख) (एक) भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड के वर्ष 1974-75 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड का वर्ष 1974-75 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल० टी० 10904/76)

तमिलनाडु जिला नगरपालिका अधिनियम, 1920 के अन्तर्गत अधिसूचना और एक विवरण

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) तमिलनाडु राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 31 जनवरी, 1976 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित तमिलनाडु

जिला नगरपालिका अधिनियम, 1920 की धारा 304 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या जी० ओ० एम० एस० संख्या 1747 की एक प्रति, जो दिनांक 12 नवम्बर 1975 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिस के द्वारा तमिलनाडु नगरपालिका सेवा नियम, 1970 में कतिपय संशोधन किये गये हैं।

(2) उपर्युक्त अधिसूचना का हिन्दी संस्करण सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल० टी० 10905/76)

परिसीमन अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत अधिसूचना

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० वी० ए० सैयद मोहम्मद) : मैं परिसीमन अधिनियम, 1972 की धारा 11 की उपधारा (2) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा० आ० 314 (ड़) हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण की एक प्रति, जो दिनांक 26 अप्रैल, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा बिहार राज्य के सम्बन्ध में परिसीमन आयोग के दिनांक 30 जून, 1975 के आदेश संख्या 43 में कतिपय शुद्धियां की गई हैं, सभा पटल पर रखता हूं।

(ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल० टी० 10906/76)।

तमिलनाडु सहकारी समिति अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं तथा विवरण और नारियल जटा बोर्ड के वर्ष 1974-75 की वार्षिक प्रतिवेदन

उद्योग और नागरिक आपूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० पी० शर्मा) : निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) तमिलनाडु राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 31 जनवरी, 1976 की उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित तमिलनाडु सहकारी समिति अधिनियम, 1961 की धारा 119 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति:—

(एक) जी० ओ० एम० एस० संख्या 451 जो दिनांक 29 अक्तूबर, 1975 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी जिसके द्वारा तमिलनाडु सहकारी समिति नियम, 1973 में कतिपय संशोधन किय गये हैं।

(दो) जी० ओ० एम० एस० संख्या 488 जो दिनांक 19 नवम्बर, 1975 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी जिसके द्वारा तमिलनाडु सहकारी शीर्ष समिति (प्रबन्ध और निर्वाचन संचालन) नियम, 1974 में कतिपय संशोधन किये गये हैं।

(तीन) जी० ओ० एम० एस० संख्या 541 जो दिनांक 17 दिसम्बर, 1975 के तमिलनाडु सरकार के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी जिसके द्वारा तमिलनाडु सहकारी समिति नियम, 1963 में कतिपय संशोधन किया गया है।

(चार) जी० ओ० एम० एस० संख्या 595 जो दिनांक 31 दिसम्बर, 1975 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी जिसके द्वारा तमिलनाडु सहकारी समिति नियम, 1963 में कतिपय संशोधन किये गये हैं।

(2) उपर्युक्त अधिसूचनाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(3) उपर्युक्त (4) (क) में उल्लिखित अधिसूचनाओं की हिन्दी संस्करण सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रन्थालय में रखे गये । **देखिये** संख्या एल० टी० 10907/76)

(4) नारियल जटा उद्योग अधिनियम, 1953 की धारा 19 की उपधारा (1) के अन्तर्गत नारियल जटा बोर्ड की गतिविधियां तथा नारियल जटा उद्योग अधिनियम, 1953 के कार्यकरण सम्बन्धी वर्ष 1974-75 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(ग्रन्थालय में रखा गया । **देखिये** संख्या एल० टी० 10908/76)।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस (संशोधन) नियम, 1976, कोचीन रिफानरीज लिमिटेड के 31-8-75 को समाप्त हुए वर्ष के लिये समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन

पेट्रोलियम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : मैं निम्नलिखित सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1948 की धारा 10 के अन्तर्गत पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस (संशोधन नियम 1976) हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 15 मई, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सा० नि० 684 में प्रकाशित हुए थे ।

(ग्रन्थालय में रखा गया । **देखिये** संख्या एल० टी० 10909/76)

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) कोचीन रिफाइनरीज लिमिटेड के 31 अगस्त, 1975 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) कोचीन रिफाइनरीज लिमिटेड का 31 अगस्त, 1975 को समाप्त हुए वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां।

(ग्रन्थालय में रखे गये । **देखिये** संख्या एल० टी० 10910/76) ।

फिलिप्स इंडिया लिमिटेड, बम्बई के प्रस्ताव पर एकाधिकार तथा निर्बन्धनकारी व्यापारिक व्यवहार आयोग का प्रतिवेदन तथा एक विवरण

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री वेदवृत्त बरुआ) : मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :—

(1) एकाधिकार तथा निर्बन्धनकारी व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 21 (3) (ख) के अन्तर्गत फिलिप्स इंडिया लिमिटेड, बम्बई के जनरल लाइटिंग सर्विस लैम्पस और फ्लोरिसेंट ट्यूब लैम्पस के निर्माण में पर्याप्त विस्तार करने

सम्बन्धी प्रस्ताव पर एकाधिकार तथा निर्बन्धनकारी व्यापारिक व्यवहार आयोग के प्रतिवेदन की एक प्रति तथा उक्त अधिनियम, की धारा 62 के अन्तर्गत उस पर दिनांक 5 मई, 1976 का केन्द्रीय सरकार का आदेश।

(2) उपर्युक्त प्रतिवेदन तथा उस पर केन्द्रीय सरकार के आदेश का हिन्दी संस्करण साथ-साथ सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल० टी० 10911/76)।

प्रतिकर न्यायाधिकरण आदेश, 1974 और एक विवरण

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं

(1) भारत रक्षा नियम, 1971 के नियम 100, 101 और नियम 102 के उपनियम (6) के अन्तर्गत किये गये प्रतिकर न्यायाधिकरण आदेश, 1974 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 29 मार्च, 1974 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सा० नि० 149 (ड़) में प्रकाशित हुआ था।

(2) उपर्युक्त अधिसूचना को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल० टी० 10912/76)

हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स लिमिटेड, मद्रास के कार्यकरण पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : मैं संविधान के अनुच्छेद 151 (1) के अन्तर्गत भारत के नियन्त्रक महालेखापरीक्षक के वर्ष 1975 के प्रतिवेदन—संघ सरकार (वाणिज्यिक) भाग-3 हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स लिमिटेड, मद्रास के कार्यकरण का मूल्यांकन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

(ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल० टी० 10913/76)

राज्य सभा से सन्देश

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

महासचिव : मैं राज्य सभा से प्राप्त इस संदेश की सूचना देता हूं कि राज्य सभा ने 24 मई, 1976 की अपनी बैठक में बाल दत्तक ग्रहण विधेयक, 1972 सम्बन्धी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने का समय राज्य सभा के 97 वें सत्र के अन्तिम दिन तक और बढ़ाने के बारे में एक प्रस्ताव पास किया है।

याचिका समिति
COMMITTEE ON PETITIONS
31 वां प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश

श्री जगन्नाथ राव (छत्तरपुर) : मैं याचिका समिति का निम्नलिखित प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश प्रस्तुत करता हूं :

(1) 31 वां प्रतिवेदन

(2) 78 वीं से 82 वीं बैठकों के कार्यवाही-सारांश

बम्बई हाई में अशोधित तेल के वांणिज्यिक उत्पादन के सम्बन्ध में वक्तव्य
STATEMENT *RE.* COMMENCEMENT OF COMMERCIAL PRODUCTION OF CRUDE OIL IN THE BOMBAY HIGH

पेट्रोलियम मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : अध्यक्ष महोदय, बम्बई हाई के अपतटीय क्षेत्र में तेल की खोज एवं उत्पादन के सम्बन्ध में अपने प्रयत्नों की प्रगति के बारे में मैं सदन को अवगत कराता रहा हूं । बम्बई हाई एक विशाल क्षेत्र है और यदि हमने सामान्य रूप में संरचना की सम्भाव्यता का मूल्यांकन, इसके विकास के लिए प्रौद्योगिकी आर्थिक योजना तैयार करके तथा उसके पश्चात उत्पादन वाले कुओं का व्यधन कार्य किया होता तो इस क्षेत्र से वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ होने से पूर्व इन कार्यों में चार पांच वर्षो का समय लग जाता । तेल की खोज एवं वाणिज्यिक उत्पादन के आरम्भ होने के बीच के अन्तर को पूरा करने के लिए हमने अपने परामर्शदाताओं की सलाह से कुछ विशेष उपाय अपनाये तथा संरचना एवं उत्पादन की प्रथम अवस्था का भलीभांति निरीक्षण कर लिया जैसा कि मैंने अन्य अवसरों पर बताया है कि इस क्षेत्र के पूर्ण रुप में विकसित होने पर इस से प्रतिवर्ष 10 मिलियन मी० टन की दर पर तेल का उत्पादन हो सकता है । यह उत्पादन स्तर 5 क्रमिक चरणों में प्राप्त होगा जिससे कि 1980-81 तक पूर्ण उत्पादन होने लगेगा बम्बई हाई क्षेत्र की खोज फरवरी, 1974 में की गई थी । मुझे सदन को यह सूचना देते हुए हर्ष हो रहा है कि 21 मई, 1976 से अर्थात लगभग 27 माह की अवधि में ही इस क्षेत्र में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ हो गया है । यह प्रगति अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अत्यधिक सन्तोषजनक समझी गई है । इस उपलब्धि के लिए तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग तथा इस कार्य में आयोग को सहायता देने वाले परामर्श-दाता एवं सहयोग कर्त्ता बधाई के पात्र हैं । दो कुओं, जिन में तेल का उत्पादन हो रहा है, का कुछ ही दिनों में अम्लीकरण हो जायेगा तथा इसके पश्चात आशा है कि तेल अधिकतम मात्रा में निकलने लगेगा । अभिकरण के पश्चात प्रत्येक कुए से तेल का उत्पादन बढ़ जाने तक इस सूचना को रोके रखाना सम्भवत: सूचित होता किन्तु तेल के समाचार हेतु विशेषकर इस महत्वपूर्ण कार्य में निरन्तर लगे व्यक्तियों में उत्पन्न तीव्र उत्सुसकता से सदन भलीभांति परिचित है ।

हमने इस कार्य के लिए विभिन्न पार्टियों से जो सहायता प्राप्त की उसका यहां उल्लेख करना आवश्यक है । इसमें सबसे पहली सहायता जिसका मैं अत्यन्त आभारी हूं समुद्री भूकंपीय सर्वेक्षण हैं, जिसे सोवियत भूकंपीय सर्वेक्षण की सहायता से 1964-66 के अन्तर्गत किया गया था जोकि हमारे दक्षिणी समुद्र में अपना कार्य पूर्ण करके सोवियत रूस वापस लौट रहा था । उसके पश्चात फ्रांस की सी० जी० जी० कम्पनी और यू० एस० ए० की जियो फिजीकल सर्विसेज

इन्टरनेशनल की सहायता से विस्तृत भूकंपीय और प्रत्यावर्धन सर्वेक्षण किये गये जापान की मित्सुविसी सोजी कैशा लि० ने हमारे लिए सागर समराट का निर्माण किया और यह वही व्यधन पोत है जिस ने फरवरी, 1974 में बम्बई हाई में तेल की खोज की थी। बम्बई हाई के विकास के प्रथम चरण की परिकल्पित योजना के लिये फ्रांस की सी० एफ० पी० एवं यू० एस० ए० की जियोमैन हमारे परामर्शदात्ताओं के रूप में थे। योजना को अन्तिम रूप देने का श्रेय तेल तथा प्राकृतिक गैस के वैज्ञानिकों एवं तकनीकी विदों को जाता है। डिजायनों का पुनरीक्षण इंजीनियर्स इण्डिया लि० द्वारा किया गया। जबकि दुबई की मैकडर मोट ने प्लेटफार्म को तैयार किया एवं प्लेटफार्म एच० वी० एम० और परस्पर जुड़ने वाली समुद्र की भीतरी पाइप-लाइनों को स्थापित किया। एस० वी० एम० की सप्लाई डच द्वारा की गई। शिपिंग कारपोरेशन आफ० इण्डिया ने। जवाहर लाल नेहरु टैंकर की व्यवस्था की जोकि बम्बई हाई तेल के भण्डार टैंकर का कार्य करता है।

देश में तेल संसाधनों के अन्वेषण और विकास कार्यक्रम के लिये निरन्तर सहायता और प्रोत्साहन जो मुझे न केवल हमारी प्रधान मंत्री और सरकार में मेरे अन्य सहयोगियों से ही अपितु इस सम्माननीय सदन के सदस्यों से भी प्राप्त होता रहा है, उसके लिये इस अवसर पर मैं अपना आभार प्रकट करना अपना परम कर्त्तव्य समझता हूं। मुझे नम्रता पूर्वक यह भी कहना है कि यद्यपि हमारी उपलब्धि अत्यन्त संतोषजनक है तथापि यह उपलब्धि इस क्षेत्र में अभी और किये जाने वाले कार्य का एक अंगमात्र है। तेल अन्वेषण तकनीकियों के सभी चरणों में अत्यधिक उन्नति करने के बावजूद अपतटीय और तटवर्ती दोनों क्षेत्रों में हाइड्रोकार्बन की खोज अभी अनेक अति सूक्ष्म समस्याओं के साथ मिली हुई है। व्याधन कार्य अन्ततः अन्वेषकों के सभी प्रयासों के संरचनात्मक और नकारात्मक पहलुओं को सिद्ध करता है। तथापि मुझे विश्वास है कि अब तक प्राप्त सफलता से हमें कम से कम समय में देश की तेल और गैस की अपेक्षित मात्रा का अन्वेषण करने में कोई कसर न उठाये रखने के लिये प्रेरणा और सफुर्ति मिलेगी।

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के पुनर्गठन के बारे में वक्तव्य

STATEMENT *Re.* RESTRUCTURING OF HINDUSTAN STEEL LTD.

इस्पात और खान मंत्री (श्री चन्द्रजीत यादव) : जैसा कि माननीय सदस्यों को मालूम है स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड के बन जाने के फलस्वरूप हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के पुनर्गठन का प्रश्न काफी समय से सरकार के विचाराधीन था। हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड का गठन 1954 में किया गया था। इस समय इसके अधीन 5 मुख्य परिचालन इकाइयां अर्थात् भिलाई, राउरकेला, और दुर्गापुर के तीन सर्वत्तोमुखी कारखाने, दुर्गापुर का मिश्रित इस्पात कारखाना तथा दुगदा, भोजूडीह और पाथरडीह की कोयला शोधनशालाएं हैं। राउरकेला का उर्वरक संयंत्र राउरकेला के इस्पात कारखाने का ही एक भाग है।

2. हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के मुख्य कार्य इसके अधीन इस्पात कारखानों तथा अन्य इकाइयों का आयोजन, निर्देशन, नियंत्रण करना और परामर्शी सेवाएं उपलब्ध कराना है। जनवरी 1973 में स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड के गठन के पश्चात ऐसा विचार किया गया था कि जो कार्य हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड कर रही थी वे धीरे-धीरे इस नई नियंत्रक कंपनी (होल्डिंग कंपनी) को अन्तरित कर दिए जायेंगे और इस तरह तीन स्तरों पर अर्थात मंत्रालय,

सेल और इस्पात कारखानों/उपक्रमों में काम होने लगेगा। वर्तमान व्यवस्था में कुछ कार्य ऐसे हैं जो 'सेल' और हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड दोनों द्वारा किए जा रहे हैं। इस प्रकार की व्यवस्था बड़े उपक्रमों को व्यवसायिक तथा वाणिज्यिक आधार पर सुचारू रूप से चलाने के हित में नहीं है।

3. हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के इस्पात कारखाने, पूंजी विनियोग, कारोबार, उनमें लगे श्रमिकों, अर्थव्यवस्था में उनके महत्व आदि की दृष्टि से इतने बड़े हैं कि उनमें से प्रत्येक कारखाने की अलग-अलग प्रबन्ध-मण्डल वाली अलग-अलग कम्पनी बनाना उचित होगा। इस प्रकार उन्हें न केवल स्वतन्त्र अधिकार और उत्तरदायित्व मिल जायेंगे वरन् उन्हें अपना कार्य स्वतन्त्रता-पूर्वक करने और प्रबन्ध कार्य की प्रणाली के विकास के नये अवसर मिलेंगे और इस प्रकार अधिक उत्पादन, उत्पादिता और लाभदायकता प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।

4. माननीय सदस्य पिछले कुछ वर्षों में इस्पात कारखानों के प्रबन्ध में हुए सुधार विशेष-रूप से पिछले दो वर्षों में उत्पादन, उत्पादिता और क्षमता के उपयोग में हुई उल्लेखनीय वृद्धि से भली-भांति परिचित है। हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड ने देश के कुछ सबसे बड़े औद्योगिक कारखानों के आयोजन, निष्पादन और प्रबन्ध में महत्वपूर्ण कार्य किया है। मैं यह लेखाबद्ध करना चाहूंगा कि सरकार हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के सेवानिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा किए गए अच्छे काम की प्रशंसा करती है। उन्होंने अपने अथक प्रत्यनों और कड़े परिश्रम से देश में इस्पात उद्योग के लिए एक सुदृढ़ आधार तैयार कर दिया है। हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड द्वारा विकसित विशेषज्ञता का लाभ इस्पात क्षेत्र को मिलता रहेगा और हम हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के कर्मचारियों को 'सेल' तथा उसकी सहायक कंपनियों में रखकर उनकी सेवाओं का लाभ उठाते रहेंगे।

5. अब जो संगठनात्मक परिवर्तन किए जा रहे हैं वे मोटे तौर पर इस प्रकार हैं :—

(क) भिलाई, इस्पात कारखाने, राउरकेला इस्पात कारखाने (राउरकेला का उर्वरक कारखाना भी शामिल है) और दुर्गापुर के मिश्रित इस्पात कारखाने की तीन अलग और स्वतन्त्र कंपनियां बना दी जायेंगी जिनका अपना-अपना प्रबन्ध-मण्डल होगा। ये कंपनियां सेल के पूर्ण स्वामित्व में उसकी सहायक कंपनियां होंगी।

(ख) दुर्गापुर इस्पात कारखाना शेष हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के रूप में तथा सेल के पूर्ण स्वामित्व में उसकी सहायक कंपनियों के रूप में चलता रहेगा यह एक अलग कंपनी होगी और इसका भी अपना प्रबन्ध-मण्डल होगा।

(ग) दुगदा, भोजूडीह और पाथरडीह की कोयला शोधनशालाएं, जोकि इस्पात कारखानों को बढ़िया शोधित कोक्कर कोयले की आपूर्ति करती हैं, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड को अन्तरित कर दी जाएंगी। 1-4-1975 से इन शोधनशालाओं का प्रबन्ध भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के पास है।

(घ) आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रीय विक्रय तथा विपणन कार्य एक कंपनी करेगी जिससे आन्तरिक विपणन तथा निर्यात आयोजन कार्यों में अच्छा तालमेल हो सकेगा। तद्नुसार आन्तरिक बिक्री का कार्य सेल इन्टरनेशनल लि० करेगी।

(ङ) लंदन में हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड का संपर्क कार्यालय सेल इन्टरनेशनल लिमिटेड को आन्तरित कर दिया जायेगा।

(च) हिन्दुस्तान स्टील लि० का प्रबन्ध प्रशिक्षण संस्थान तथा अनुसंधान और विकास संगठन सेल को अन्तरित कर दिए जायेंगे ।

6. इन नई कंपनियों की स्थापना तथा परीक्षित लेखों तथा कंपनी अधिनियम और अन्य संबंधित कानूनों के आधार पर विभिन्न इकाइयों की परिसम्पत्ति और देनदारियां अन्तरित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने तक आन्तरिक बिक्री का काम अभी से सेल इन्टरनेशनल लि० को अन्तरित कर दिया गया है। प्रबन्ध प्रशिक्षण संस्थान और अनुसंधान और विकास संगठन को सेल को अन्तरित किए जाने के बारे में भी इसी प्रकार की कार्रवाई की जा रही है। स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड नई कंपनियों और इकाइयों के कार्यों में समन्वय स्थापित करेगी, उनके आर्थिक तथा वित्तीय उद्देश्य तथा लक्ष्य निर्धारित करेगी और उनके सभी संसाधनों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने की दृष्टि से उनके कार्यकरण की समीक्षा करेगी, उन पर नियंत्रण रखेगी, उनका मार्गदर्शन करेगी तथा उन्हें निर्देश देगी।

7. चूंकि यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है और माननीय सदस्य सरकारी उपक्रमों को ठीक ढंग से चलाने के मामले में सामान्य रूप से तथा हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के मामले में विशेष रूप से रुचि लेते रहे हैं इसलिए मैं इन महत्वपूर्ण निर्णयों को कार्यरूप देने से पहिले माननीय सदस्यों को इनसे अवगत करा रहा हूं । हमें पूर्ण आशा है कि इन परिवर्तनों से इन कारखानों के प्रबन्ध तथा कार्यकरण में और भी सुधार होगा।

संविधान (42 वां संशोधन) विधेयक

CONSTITUTION FORTY-SECOND AMENDMENT BILL

अध्यक्ष महोदय : अब हम विधेयकों को विचारार्थ लेते हैं । पहला विधेयक संविधान (42 वां संशोधन) विधेयक , 1976 है।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : नवम् अनुसूची में 64 या 65 अधिनियम शामिल किये जायेंगे। इनमें से अधिकांश अधिनियम राज्यों के हैं। इस बारे में कोई वक्तत्व नहीं दिया गया है कि वे कौन से कानून हैं जिन्हें नवम् अनुसूची में शामिल करने की सरकार ने आवश्यकता महसूस की है। मेरे विचार में इस विधेयक को स्थगित रखा जाये । हमें पता लगना चाहिये कि ये विधेयक क्या हैं। पुस्तकालय में इनकी प्रतियाँ भी उपलब्ध नहीं हैं।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० वी० ए० सैयद मोहम्मद) : लोक सभा के पुस्तकालय में प्रतियां उपलब्ध हैं । मेरे विचार में इसे स्थगित नहीं किया जाना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : ये राज्य अधिनियम हैं और पुस्तकालय में रखे गये हैं। इसे स्थगित करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

डा० वी० ए० सैयद मोहम्मद : मैं प्रस्ताव करता हूं "कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

खण्ड 2 का उद्देश्य संविधान के अनुच्छेद 297 के स्थान पर नये अनुच्छेद को प्रतिस्थापित करना है जिसमें "भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र" अभिव्यक्ति को शामिल करना है। उपखण्ड (3) में आगे कहा गया है कि राज्य क्षेत्रीय सागर खण्ड महाद्वीपीय मग्नतट भूमि भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र तथा सामुद्रिक क्षेत्रों की सीमाएं संसद् द्वारा बनाये गये कानूनों द्वारा या उसके आधीन समय समय पर विनिर्दिष्ट किया जायेगा।

विधेयक के खण्ड 3 में सूची में उल्लिखित मद संख्या 125 से 188 तक के अधिनियमों को नवम् अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव है।

अनन्य आर्थिक क्षेत्र का सिद्धान्त विशेष रूप से विकासशील देशों के हित के लिए समूचे विश्व ने स्वीकार किया है। इस अनन्य आर्थिक क्षेत्र में यह उपबन्ध करने का प्रस्ताव है कि इसमें भारतीय संघ प्रभुता तथा विशेष अधिकार हों।

हाल में विशेष कर द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् विकासशील देशों की यह मांग रही है कि एक विशेष अनन्य आर्थिक क्षेत्र की परिभाषा तैयार की जाये जिससे ये विकासशील देश उस क्षेत्र के संसाधनों का उपयोग कर सकें। यह विधेयक इसीलिए पुरःस्थापित किया गया है कि ताकि विशेष आर्थिक क्षेत्र से संसाधनों को उपयोग में लाने की विश्व की आवश्यकता पूरी हो सके।

विधेयक के खण्ड 3 का उद्देश्य 125 से 188 तक की प्रविष्टियों को संविधान की नवम् अनुसूची में सम्मिलित करना है।

125 से 133 तक की प्रविष्टियों का सम्बन्ध केन्द्रीय अधिनियमितियों से है जबकि 134 से 188 तक की प्रविष्टियों का सम्बन्ध विभिन्न राज्य अधिनियमितियों से हैं।

इन शब्दों के साथ मैं यह विधेयक सभा के समक्ष प्रस्तुत करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव पेश किया गया :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री दीनेन भट्टाचार्य : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को उस पर 16 अगस्त, 1976 तक राय जानने हेतु परिचालित किया जाये।" (7)

श्री सोमनाथ चटर्जी (बर्दवान) : नवम् अनुसूची में कल्याणकारी विधानों को सम्मिलित करने के नाम पर तथा उन्हें न्यायिक संवीक्षा से मुक्त रखकर सरकार नवम् अनुसूची में सभी प्रकार के अधिनियम सम्मिलित कर रही है और इस तरह उन्हें न्याययिक संवीक्षा से बाहर रख रही है। संविधान में गैर-संवैधानिक विधानों को, जो कदापि जनता के लाभार्थ नहीं हैं, रखने का सरकार का प्रयास आपत्तिजनक है।

आंसुका संशोधन निर्वाचन विधि संशोधन अधिनियम तथा अतिरिक्त परिलब्धि अनिवार्य जमा अधिनियम को नवम् अनुसूची में सम्मिलित करके सरकार ने संविधान को दूषित कर दिया है। आज प्रविष्टि संख्या 125, 130 तथा 133 को नवम् अनुसूची में सम्मिलित करने का दूसरा प्रयास किया जा रहा है। हमें इन मदों पर आपत्ति है और हम इनको सम्मिलित किए जाने का घोर विरोध करते हैं।

जहां तक विधेयक के खण्ड 2 का सम्बन्ध है, यह राज्यक्षेत्रीय सागर खण्डों तथा आर्थिक क्षेत्र के, जिसे इसमें सम्मिलित करना है नए सिद्धान्तों से सम्बन्धित है। इस पर हमें कोई आपत्ति नहीं है। एकमात्र बात यह है कि मन्त्री जी को सदस्यों की सुविधा के लिए आर्थिक क्षेत्र की व्याख्या कुछ अधिक विशिष्ठ ढंग से करनी चाहिए थी।

हमारे देश में कई राज्य राज्य क्षेत्रीय सागर खण्डों में मछली पकड़ने जैसे वाणिज्यिक कार्यों में लगे हुए हैं। राज्यों का ऐसा करने का कानूनी और संवैधानिक अधिकार क्या है? यद्यपि सरकार के अनुच्छेद 297 में अनन्य आर्थिक क्षेत्र को जिसे संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है सम्मिलित करके क्षेत्र बढ़ा दिया है तथापि अन्तर्राष्ट्रीय संधियों या अन्तर्राष्ट्रीय आचरण की किसी स्वीकृत धारणा द्वारा इसे परिभाषित किया जाना है। जहां तक इन गतिविधियों का सम्बन्ध है, राज्यों और संघ के सम्बन्ध में इसका क्या उद्देश्य है? क्या राज्य को राज्य क्षेत्रीय सागर खण्डों तथा आर्थिक क्षेत्र में मछली पकड़ने जैसी गतिविधियां चलाने से रोका गया है? क्या "राज्यक्षेत्रीय सागर खण्डों" में राज्यों के अधिकार प्रभावित होने जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 297 के प्रवर्तन द्वारा अपनी शक्ति बढ़ाने के राज्यों के अधिकारों पर बाधा न पड़े ।

जहां तक खण्ड 3 का सम्बन्ध है, यह बहुत ही आपत्तिजनक है। जब 1950 में संविधान अनिनियमित किया गया था तो उस समय अनुच्छेद 31 (ख) नहीं था, जो कि भूमि सुधार सम्बन्धी कानूनों और देशवासियों के हितों सम्बन्धी कानूनों के बारे में निहित स्वार्थों की चुनौती से संविधान को संरक्षण प्रदान करता है। तब से यह सभा इस आधार पर आगे बढ़ी है कि ऐसे कानूनों को, जो कि भूमि सुधार के सम्बन्ध में हों, संरक्षण देने के लिए नवम् अनुसूची को उपयोग में लाया जाये। हमारा उद्देश्य सभी विधानों को, चाहे वे भूमि सुधार के सम्बन्ध में हों या नहीं संरक्षण प्रदान करना नहीं हो सकता । ऐसा 39 वां संशोधन अधिनियम बनने तक नहीं किया गया।

प्रत्येक व्यक्ति यह जानना चाहगा कि आक्षेपणीय सामग्री प्रकाशन निवारण अधिनियम को नवम् अनुसूची में सम्मिलित करने में क्या औचित्य है। क्या यह भूमि सुधारों के सम्बन्ध में है? और क्या संघ लेखाओं का विभागीकरण तथा (कार्मिक अन्तरण) अधिनियम, 1976 का सम्बन्ध भूमि सुधारों से है? क्या यह देश के जनसाधारण के हितार्थ हैं?

इसी तरह आंसुका तथा अतिरिक्त परिलब्धि तथा अनिवार्य जमा अधिनियम किस तरह लाभदायक तथा प्रगतिशील समझा जा सकता है? सभी विपक्षी दल इनके विरुद्ध हैं । यह जानते हुए भी कि उन विधानों का वैध या संवैधानिक अथवा नैतिक आधार नहीं है, सरकार उन्हें नवम् अनुसूची में सम्मिलित करके संरक्षण प्रदान करना चाहती है। सरकार का यह ऐसा रवैया है जिसका कि हम विरोध कर रहे हैं।

मन्त्री जी ने कहा हैं कि इन विधानों की जो लोक कल्याण के लिए है, रक्षा की जानी चाहिए। कोई भी मन्त्री जी से पूछना चाहेगा कि ये विधान किस तरह से लोक कल्याणार्थ हैं? हम किस तरह से इन्हें देश की भलाई तथा जन साधारण के कल्याणार्थ आवश्यक विधान कह सकते हैं। अतः हमें संवैधानिक संशोधन के मामलों में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए।

हम यह भी नहीं जानते कि इन अधिनियमों की विषय-वस्तु क्या है, जिन्हें हम बचाना चाहते हैं। ये अधिनियम हमें दिए जायें और हम उन्हें देखेंगे क्योंकि हो सकता है कि कुछ राज्यों ने ऐसे विधान पारित कर लिए हों, जिनसे लोगों का हित न होता हो। शीर्षक का अर्थ कुछ और हो सकता है और इसकी विषय वस्तु कुछ और हो सकती है। अत: हम अनजाने में ऐसा क्यों करें ?

संविधान (संशोधन) विधेयक आपातस्थिति के दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिये। यह हमारे देश का एक स्थायी कानून होने जा रहा है। यह हमारे संवैधानिक ढांचे का आधार बनने जा रहा है। हम तीन मदों, विशेषकर, मद संख्या 130 तथा 133 को नवम् अनुसूची में सम्मिलित किए जाने पर आपत्ति करते हैं। अध्यक्ष अपनी स्वविवेक शक्ति का प्रयोग करें और सुनिश्चित कर कि इस संविधान (संशोधन) विधेयक पर इस ढंग से चर्चा न हो और न ही इसे पारित किया जाये। सदस्यों को समुचित अवसर दिया जाये। यदि मंत्री जी ने यह बात कही होती कि यदि इस विधेयक को आज ही पारित नहीं किया जायेगा तो भूमि सुधार सम्बन्धी कानून के कार्यान्वयन पर गम्भीर रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा तो फिर किसी को कुछ समझ भी आता किन्तु इस तरह की कोई बात नहीं की जा रही है फिर भी वे चाहते हैं कि सभा यह विधेयक पारित कर दे। यह अनुचित बात है।

श्री जगन्नाथ राव (छत्तरपुर) : इस विधेयक को पारित करने के साथ हम 1950 से अब तक 42 संविधान संशोधन पारित कर लेंगे। इन संशोधनों से केवल यह बात प्रकाश में आती है कि संविधान एक स्थिर दस्तावेज नहीं रह सकता। सामाजिक परिवर्तन लाने तथा लोगों की आशाओं तथा आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए इसे एक जीवित उपकरण के रूप में रहना है।

यह कहने का कोई लाभ नहीं है कि लोक सभा की अवधि समाप्त हो गई है और जनता ने जो बहुमत दिया था वह भी समाप्त हो गया है और इसके फलस्वरूप इस सभा को अब कोई भी संवैधानिक संशोधन पारित करने का अधिकार नहीं है। यह सभा संविधान के अन्तर्गत कानूनी तौर पर तथा वैधानिक ढंग से गठित की गई है और इसे कोई भी संवैधानिक संशोधन, जिसे सरकार पेश करे, पारित करने का पूरा अधिकार है।

इस विधेयक का उद्देश्य संविधान के अनुच्छेद 297 का संशोधन करना है। पुराने अनुच्छेद के स्थान पर नया अनुच्छेद प्रतिस्थापित किया जा रहा है। मूल अनुच्छेद 297 में महाद्विपीय मग्न तट भूमि" शब्द नहीं थे। "महाद्विपीय मग्नतट भूमि" शब्द 1963 में संविधान में 15 वां संशोधन करके लागू किया गया था। पहले भारत के राष्ट्रपति ने उद्घोषणा जारी की थी कि राज्यक्षेत्रीय सागर खण्डों की सीमा का विस्तारण 6 सामूहिक मीलों तक किया जायेगा। 15 वां संशोधन पारित करने और अनुच्छेद 297 में महाद्विपीय मग्नतट भूमि को सम्मिलित करने के बाद भारत के राष्ट्रपति ने 1965 में एक दूसरी उद्घोषणा जारी की थी जिसके अनुसार महाद्विपीय मग्नतट भूमि की सीमा 100 सामूहिक मील तक बढ़ाई गई और इसमें मछली पकड़ने का अधिकार भी दिया गया। किन्तु ये दोनों ही उद्घोषणाएं अब पुरानी हो चुकी हैं। राज्यक्षेत्रीय सागर खण्ड की सीमा बढ़ाकर 12 सामूहिक मील कर दी गई है। और महाद्विपीय मग्नतट भूमि की सीमा अब 200 सामूहिक मील तक है। अत: दोनों ही उद्घोषणाओं का नवीकरण करना है।

चूंकि हमारा प्रभुता सम्पन्न गणराज्य है, अतः हमारा प्राधिकार तथा प्रभुता ने केवल अपने ही राज्यक्षेत्रीय सागर खण्ड तक हो और न केवल महाद्विपीय मग्नतट भूमि तक ही हो अपितु यह सामूहिक क्षेत्र में भी होना चाहिए। यह नितान्त आवश्यक है कि एक हम एक-पक्षीय ढंग से कार्यवाही न करें क्योंकि अन्य देशों ने ऐसा किया है ब्रिटेन ने महाद्वीपीय मग्नतट भूमि अधिनियम 1964 में पारित कर लिया था। हम भी ऐसा क्यों न करें।

जहां तक कुछ अधिनियमों के अन्तःस्थापन का सम्बन्ध है, केन्द्रीय तथा राज्यों दोनों ही के विधानों को नवम् अनुसूची में सम्मिलित करना आवश्यक है।

कृषि सुधारों को ही नहीं अपितु प्रधान मंत्री के 20-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम को भी चुनौती दी जाती है। देश में पहली बार प्रधान मंत्री ने निदेशक सिद्धान्तों को कार्यान्वित करने के लिए गम्भीर प्रयास किया है और अनेक अधिनियम भी पास किए गए हैं। लेकिन 20-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम ने अन्तर्गत भूमिहीन लोगों को आवास स्थल देने के लिए भूमि अर्जन की वैधता को इलाहबाद उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है। क्या सरकार चुप बैठी रहती ? सरकार ने उन सभी याचिकाओं को रद्द कर दिया है किसी भी योग्य सरकार को इसका पूर्वानुमान लगा लेना चाहिए और मुकदमे बाजी को रोकने के लिए ठीक समय पर कदम उठाने चाहिएं।,

ये न्यायालय क्या हैं ? उन्होंने तो विभिन्न मामलों पर अलग-अलग समय पर भिन्न-भिन्न प्रकार के निर्णय दिए हैं। अतः अब वह समय आ गया है जबकि हमें इस पर रोक लगानी चाहिए यद्यपि संघीय ढांचे में न्यायिक संवीक्षा आवश्यक है फिर भी कुछ मामलों में प्रतिबन्ध लगाना होगा।

विधान मण्डल ही मुआवजे की राशि निर्धारित कर सकती है। देश में व्याप्त परिस्थितियों के अनुसार ही मुआवजा देने का सिद्धान्त बनाया जाना है। लेकिन फिर भी न्यायालय इस मामले में दखलअन्दाजी करते हैं। हमें कुछ विधानों को न्यायपालिका की संवीक्षा से बाहर रखना चाहिए ताकि लोक कल्याण सम्बन्धी विधान प्रभावी ढंग से लागू किए जा सकें। और उनके कार्यान्वयन में जनता और न्यायपालिका किसी प्रकार हस्तक्षेप न कर सकें।

अतः ऐसी सम्भावित स्थिति को दूर करने के लिए सरकार यह विधेयक लाई है। इसे पास किया जाना चाहिये।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : इस विधेयक में दो भिन्न उपबन्ध किए गए हैं। पहला उपबन्ध अनुच्छेद 2 में किया गया है जो खण्ड 3 से बिल्कुल भिन्न है।

जहां तक खण्ड 2 का सम्बन्ध है, सरकार जिस ढंग से इस संशोधी खण्ड को पेश कर रही है उससे मुझे बहुत अधिक निराशा हुई है। सदन को कम से कम संक्षिप्त में यह ब्यौरा देना चाहिए था कि अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय में राज्य क्षेत्रीय सागर खण्ड आर्थिक क्षेत्र, और महाद्वीपीय मग्नतट भूमि आदि के मामलों पर क्या विचार-विमर्श हुआ था तथा वहां भारत का क्या दृष्टिकोण था और अब हमारा क्या दृष्टिकोण है। संयुक्त राष्ट्र संघ में अनेक वर्षों से चर्चा चल रही है। करकास में एक विशेष सम्मेलन का आयोजन किया गया था हमारे विधि मंत्री इसी उद्देश्य से न्यूयार्क गये हैं। लेकिन हमें किसी बात की सूचना नहीं दी गई है।

खण्ड 2 से वस्तुत: संसद को भारत के राज्यक्षेत्रीय सागर खण्ड, महाद्वीपीय मग्नतट भूमि, अनन्य आर्थिक क्षेत्र तथा अन्य सामुद्रिक क्षेत्रों की सीमा निर्धारित करने अथवा उन्हें पारिभाषित करने की शक्ति प्रदान करता है। यह नितान्त आवश्यक है कि समुद्रतल के नीचे की बहुमुल्य वस्तुएं संघ (केन्द्र) में निहित हों। और ये संघ (केन्द्र) के प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाई जायें।

संसद में कई बार हिन्द महासागर में बनाये जाने वाले नौसैनिक अड्डों जैसे डियेगो गार्सिया इत्यादि के बारे में उल्लेख किया गया है तथा हिन्द महासागर को शान्ति क्षेत्र बनाये रखने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। यह नि:सन्देह बात है कि कोलम्बो में हाल ही होने वाले गुट निरपेक्ष राष्ट्रों के शिखर सम्मेलन में इस विषय पर प्रकाश डाला जायेगा। यह केवल मात्र सैनिक अड्डे बनाने का प्रश्न नहीं है। हमें इस प्रश्न पर गम्भीरता से विचार करना होगा।

नया खण्ड (2) निश्चय ही अत्यन्त आवश्यक है यद्यपि इसमें ऐसा नहीं कहा गया है जो नितान्त परिवर्तनकारी या क्रान्तिकारी हो। इसमें तो केवल यही कहा गया है कि यह प्रश्न मुख्यत: राष्ट्रीय प्रभुसत्ता और राष्ट्रीय अधिकार का है और इसमें संसद को संगत राज्यक्षेत्रीय सागर खण्ड तथा अन्य सागर खण्डों की सीमाओं की व्याख्या करने का अधिकार मिलता है जिन पर हमारी प्रभुसत्ता का अधिकार होना चाहिए। अत: मैं नहीं समझता कि इस खण्ड पर कोई विवाद है। आशा है सरकार इस पर अधिक प्रकाश डालेगी कि इन विषयों पर कैसे चर्चा की जा सकती है।

[श्री वसन्त साठे पीठासीन हुए
SHRI VASANT SATHE *In The Chair*]

खण्ड 3 के सम्बन्ध में भी मुझे प्रसन्नता नहीं है क्योंकि इसमें ऐसा विषय समाविष्ट किए गये हैं जिनका हम पूर्ण तया समर्थन करते हैं अर्थात नवीं अनुसूची में उन सभी केन्द्रीय तथा राज्यों के अधिनियम सम्मिलित है जिनका सम्बन्ध भूमि विधानों और भूमि सुधार सम्बन्धी कानूनों से है। लेकिन यह पता नहीं है कि इनमें है क्या। मुझे तो इनमें त्रुटियां ही दिखाई देती हैं। उन्होंने तो हमें यह भी नहीं बताया है कि क्या वे इनसे पूर्णत: सन्तुष्ट हैं। कि ये सभी राज्य विधान प्रगतिशील कानून हैं और इन कानूनों में भूमि की अधिकतम सीमा उसी ढंग से निर्धारित की गई है जिसके लिए हम अब तक आन्दोलन करते रहे हैं। क्या इनमें उचित भूमि सुधारों और भूमि वितरण की व्यवस्था है।

यह बात मुझे 'बहुत' अटपटी सी लगती है कि इतने अधिक भूमि सुधार कानूनों में से सरकार ने केवल दो या तीन केन्द्रीय अधिनियमों को सम्मिलित किया है जबकि इनका उद्देश्यों और कारणों से कोई सम्बन्ध नहीं है। क्योंकि इनमें प्रगतिशील और लाभप्रद विधान का उल्लेख किया गया है जिसका आशय निहित स्वार्थों के एकाधिकार को समाप्त करना है। जब तक यह नहीं होगा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। आक्षेपणीय सामग्री निवारण कानून को किस प्रकार कल्याणकारी कानून कहा जा सकता है? मैं इसका विरोध करता हूं क्योंकि इसका प्रशासन नौकरशाहों के हाथों में है। इस तरह सम्पादक और प्रकाशक के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है।

बोनस के मामले को लेकर आन्दोलन हुआ है । कार्मिक संघों को इसलिए नोटिस जारी किए गए है क्योंकि उन्होंने बोनस के प्रश्न को लेकर पर्चियां जारी की थीं । जिसमें कहा गया था कि वह इस मामले पर भूख हड़ताल करेंगे । इसी को आक्षेपणीय सामग्री बताया गया है इस तरह सरकार प्रगतिशील तथा गैर प्रगतिशील दोनों ही बातों को संवैधानिक संरक्षण देना चाहती है।

जहां तक भूमि सुधार के प्रश्न का सम्बन्ध है, मुझे पता नहीं है कि इस दिशा में कितनी प्रगति हुई है। इन कानूनों को कहां तक संवैधानिक संरक्षण देने से ये अपना उद्देश्य कहां तक पूरा करेंगे । इसका यह उद्देश्य है कि इन मामलों को न्यायालय के पुनरीक्षण से बाहर रखा जायेगा यह कब तक लागू हो जायेगा ? क्या इस उद्देश्य से विभिन्न उच्च न्यायालयों अथवा उच्चतम न्यायालय में अनिर्णीत मामले, लम्बित याचिकाएं निषेधाज्ञाएं आदि निष्प्रभावी हो जायेंगी । यदि नहीं होंगी, तो इससे सरकार किस प्रकार समस्या का समाधान करेगी । यदि सरकार इस तरह कानून बनायेगी तो कम से कम इसे पूर्व व्याप्ति से लागू करना होगा । और इससे सभी याचिकाएं निष्प्रभावी हो जायेंगी । अन्यथा दिल्ली में मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन का कोई प्रयोजन नहीं है जहां आपने यह घोषणा की थी कि 30 जून, तक ये सभी भूमि सुधार कानून पूरी तरह से लागू किए जायेंगे लेकिन ऐसा नहीं हो पायेंगा । श्री जगजीवन राम जी के अनुसार 31 जनवरी 1976 को 6,09,482 लाख मामले अनिर्णीत पड़े थे । क्या ये सभी मामले निष्प्रभावी घोषित किए जायेंगे और क्या यह संवैधानिक संरक्षण इन मामलो पर लागू होगा ? कृषि मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में बताया है कि 9,32,038 एकड़ भूमि फालतू घोषित की गई हैं। लेकिन केवल 4,08,680 एकड़ भूमि ही सरकार के कब्जे में आई है। और शेष भूमि के बारे में न्यायालय ने निर्णय नहीं दिया है । अधिकार में आई भूमि में से केवल 1,20,045 एकड़ भूमि का ही वितरण हुआ है। इसका पहला कारण न्यायिक हस्तक्षेप, बताया गया है। इसे संवैधानिक संरक्षण देकर ही दूर किया जा सकता है। इसका दूसरा कारण यह है कि निर्धारित प्रक्रिया बहुत कठिन और जटिल है।

यह अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य है। इसे कार्यान्वित करने के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए लेकिन यह कार्य 30 जून, तक नहीं हो सकता । सरकार भले ही और अधिक समय ले ले, किन्तु ये लक्ष्य कब तक प्राप्त कर लिए जायेंगे ?

दो दिन पहले यह समाचार प्रकाशित हुआ था कि सरकार भूमि के बेनामी अन्तरणों को नियमित बनाने हेतु एक नया विधेयक लाने का विचार कर रही है? यह समाचार देश के प्रमुख समाचार पत्रों में मोटे अक्षरों में प्रकाशित हुआ था समाचार में यह तर्क दिया गया है कि ये अधिकांश बेनामी अन्तरण गरीब किसानों या भूमिहीन किसानों के नाम में है और इनको नियमित करने से इन गरीब लोगों को लाभ पहुंचेगा । लेकिन मेरे विचार से यह बहुत खतरनाक तर्क है क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि ऐसे बेनामी अन्तरण गरीब भूमिहीन लोगों के नाम में नहीं होते हैं बल्कि अनेक ऐसे सम्बन्धियों और मित्रों के नाम में होते हैं जिनका अस्तित्व ही नहीं है। लेकिन राष्ट्रीय कृषि आयोग ने ऐसे बेनामी अन्तरणों को नियमित करने के विरुद्ध अपना निर्णय दिया है। पता नहीं क्या सरकार ऐसा कोई विधेयक लाने का विचार कर रही है। सरकार ने इस समाचार का अभी तक खण्डन नहीं किया है। हम अभी भी जानना चाहते हैं कि सरकार का इस बारे में क्या विचार है। हमें पता नहीं है कि ऐसे बेनामी अन्तरणों से कितनी भूमि छुपाई गई है। अतः इस सम्बन्ध में सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए।

सामान्यत: हम इन उपबन्धों के पक्ष में हैं। और यदि इन राज्य अधिनियमों में विस्तृत उपबन्धों में कोई दोष पाया जाये तो उन पर फिर से विचार करना आवश्यक है। उनको फिरसे ध्यान पूर्वक पढ़ा जाये और कोई कमी महसूस होने पर उसका संशोधन किया जाना चाहिए। राज्यों से ऐसे विधान या अधिनियमों के नामों को एकत्र करने में शीघ्रता नहीं करनी चाहिए बल्कि उन्हें संवैधानिक संरक्षण प्रदान करना चाहिए ।

सामान्यत: हम इस विधेयक का समर्थन करते हैं । लेकिन हम आक्षेपणीय सामग्री प्रकाशन निवारण अधिनियम का उपबन्ध शामिल करने के हक में नहीं है। यह निश्चय प्रतिगामी और बेतुका विधान है और इसका कोई औचित्य नहीं है इसकी हमने कटु आलोचना की है। लेकिन नौकरशाही इस विधान का खुले आम दुरुपयोग करेगी। अत: इसे संवैधानिक संरक्षण देने का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए जनता को यह अवसर दिया जाये कि इस अधिनियम के अन्तर्गत शक्तियों के दुरुपयोग किए जाने की स्थिति में जनता न्यायालय का संरक्षण प्राप्त कर सके। मुझे समझ में नहीं आता कि सरकार को इतना भय क्यों है। अत: हम अनुरोध करते हैं कि इस विशिष्ट अधिनियम को इस सूची में से निकाल दिया जाये ।

श्री सी० एम० स्टाफिन (मुक्तुपूजा) : सभापति महोदय मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। जिस ढंग से यह विधेयक सभा को स्वीकृति के लिए लाया गया है मैं उसका अनुमोदन करता हूं ।

यह सभा संविधान का संशोधन करने के लिए पूर्णत: सक्षम है। इसमें कोई संदेह नहीं यह एक अत्यधिक महत्वपूर्ण विधान है तथा इसके द्वारा नवम् अनुसूची का सहारा लेकर बहुत बड़ी संख्या में विधेयकों अथवा अधिनियमों को न्यायालयों की पुनरीक्षण से बाहर रखा जा रहा है ।

जहां तक विधेयक के खण्ड 2 का संबंध है मैं इस बात से पूर्णतया सहमत हूं कि सरकार के राज्यक्षेत्रीय सागर खण्डों और आर्थिक क्षेत्र इत्यादि के संबंध में सदन को पहले विस्तार में नहीं बताया। सदन को गंभीरता से लेना चाहिए। इस विषय के संदर्भ में सभा को पहले कुछ नहीं बताया गया।

दूसरे नवीं अनुसूची का इस प्रकार आश्रय नहीं लिया जाना चाहिए। संविधान का पहला संशोधन जिसमें नवीं अनुसूची का प्रादुर्भाव हुआ, एक अनुसूची का विशिष्ट उद्देश्य हेतु किया गया था और यह उद्देश्य उन क्रांतिकारी परिवर्तनों को लाना था जिनके बारे में हम विचार कर रहे हैं और अधिकांशत: उनका संबंध भूमि सुधारों से है।

अब अनुच्छेद 31 (ग) के अन्तर्गत यदि सभी प्रकार के विधान लाए जाएंगे तो अनुच्छेद 31 (ग) की अधिनियमितताओं द्वारा जो सीमा रखी गई है। उसका अतिक्रमण होगा। सरकार को बताना चाहिए कि विशिष्ट विधान क्यों आवश्यक है। एक विस्तृत विवरण बहुत आवश्यक है। सरकार को इस सदन को प्रभुतासंपन्न निकाय समझना चाहिए तथा इसे सर्वाधिक गरिमा प्रदान करनी चाहिए तथा गंभीरता से लिया जाना चाहिए । यदि यह विधेयक अथवा इसका सारांश सदस्यों के बीच बांट दिया जाता तो इससे विधेयक का कुछ नहीं बिगड़ जाता और हम उसके आधार पर उन अधिनियमों को एक बार पढ़ लेते तथा हमें भी पता चल जाता कि कहीं उनमें कुछ दोष तो नहीं हैं।

देश में आपात स्थिति लागू है और अनुच्छेद 14, 19, 20 और 21 निलंबित कर दिए गए है। इस हद तक यह अधिनियम आज भी न्यायिक पुनरीक्षा से परे है। मंत्री महोदय यह स्पष्ट करें कि वस्तुत: इसकी तत्काल आवश्यकता क्यों है। हम मूल संवैधानिक परिवर्तनों पर विचार कर रहे हैं तथा इस विषय पर एक राष्ट्रीय चर्चा हो रही है। एक विस्तृत संवैधानिक संशोधन शीघ्र ही आने वाला है। अत: सरकार पहले यह बताए कि वह परिस्थितियां कौन सी हैं जिनके अन्तर्गत खण्ड 1 आवश्यक हो गया है। दूसरे उद्देश्यों और कारणों के कथन में अधिनियमों विभिन्न खण्डों को ठीक तरह से क्यों नहीं बताया गया है। तीसरे उन विभिन्न अधिनियमों का सारांश हमें क्यों नहीं दिया गया जिन्हें अब संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया जा रहा है। चौथे संवैधानिक संशोधन विधेयक की प्रतीक्षा क्यों नहीं की गई। अत: मैं इस विधेयक का समर्थन तो करता हूं पर जिस ढंग से यह सदन के समक्ष लाया गया और जिस तरह इसे पारित करने के लिये कहा जा रहा है उसका मैं अनुमोदन नहीं करता।

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह (औरंगाबाद) : इस विधेयक को पेश करने में इतनी जल्द बाजी क्यो बरती गई है। सरकार के लिए उन अकाटय कारणों का बताना बहुत जरुरी है।

सरकार हमें बताए कि न्यूयार्क में समुद्री कानूनों के संबंध में हुए सम्मेलन में क्या बात-चीत हुई है। विधि मंत्री को हमें बताना चाहिए था कि किन विषयों पर मतैक्य हुआ है तथा अभी किन विषयों पर विचार विमर्श किया जाना है। यह नहीं मालूम की विधि मंत्री ने अन्त तक इस विधेयक में आर्थिक क्षेत्र के लिए स्वीकृत 12 मील की विशिष्ट क्षेत्रीय और महाद्वीपीय मग्नतट के लिए 200 मील की सीमाओं का उल्लेख क्यों नहीं किया गया। विधि मंत्री बताए की क्या इस संबंध में एक पृथक अधिनियम सदन के समक्ष लाया जाएगा। यदि ऐसा है तो फिर इस विधेयक को इतनी जल्दी लाने की क्या आवश्यकता थी जो कि केवल सर्मथकारी विधेयक है। इसको किसी ने चुनौती नहीं देनी थी क्योंकि हमने केवल इतना ही किया है कि एक अन्य अभिव्यक्त "अनन्य आर्थिक क्षेत्र" जोड़ा है।

जहां तक इस विधेयक का संबंध है मैं केवल एक विषय को छोड़कर इसका समर्थन करता हूं। मुझे यह समझ नहीं आया कि अन्य उपायों के साथ-साथ प्रैस कानून मद संख्या 130 को इसमें शामिल करने के क्या कारण है। प्रतिपक्ष दलों के विरोध के बावजूद भी यह विधेयक पारित किया गया तथा अब उसे संवैधानिक संरक्षण दिया जा रहा है। इसका अर्थ यह हुआ कि अब यह स्थायी तौर पर रहेगा। इस प्रस्ताव को स्वीकार करना बहुत कठिन है। यद्यपि मैं इस विधेयक का स्वागत और समर्थन करता हूं मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह मद संख्या 130 और 133 का लोप कर दे। मोटर यान अधिनियम कोई ऐसा अधिनियम नहीं है जिसे कि संरक्षण की आवश्यकता है। यह समझ में नहीं आता कि इसे किस प्रकार प्रगतिशील विधेयक समझा जा रहा है।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी (गोहाटी) : इस विधेयक में दो प्रकार के उपबंध हैं। खण्ड 2 का संबंध संविधान के अनुच्छेद 297 से है और खण्ड 3 में नवीं अनुसूची में कुछ केन्द्रीय और राज्य अधिनियमों को शामिल करके उन्हें न्यायिक पुनरीक्षा से परे किया गया है।

जहां तक अनुच्छेद 297 का संबंध है। इस संशोधन द्वारा पहली बार अन्य आर्थिक क्षेत्र की धारणा को संविधान में स्थान दिया गया है। संवैधानिक उपबंध केवल महाद्वीपीय मग्नतट अथवा राज्य क्षेत्रीय सागर खण्डों तक सीमित थे। निसंदेह अनन्य आर्थिक क्षेत्र का संबंध एक बड़े क्षेत्र से है। इस बात को दृष्टिगत रखते हुए हम इस संशोधन का स्वागत करते है। अनन्य आर्थिक क्षेत्र की धारणा को संविधान में स्थान देना उचित और सही है।

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए दो बजे म० 40 तक के लिए स्थगित हुई

(The Lok Sabha then adjourned for lunch till fourteen of the clock).

मध्याह्न भोजन के पश्चात लोक सभा 2.04 बजे म० प० पर पुनः समवेत हुई

(The Lok Sabha reassembled after lunch at four minutes past fourteen of the clock)

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker in the Chair **]**

संविधान (42 वां संशोधन) विधेयक—जारी

CONSTITUTION (FORTY SECOND) AMENDMENT BILL—contd.

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी: खण्ड 2 के अन्तर्गत प्राप्त की गई समर्थकारी शक्तियां द्वारा सरकार को निकट भविष्य में खण्ड 3 के अन्तर्गत राज्य क्षेत्रीय सागर खण्ड, महाद्वीपीय मग्नतट और अनन्य आर्थिक क्षेत्र की सीमाओं को घोषित करने के लिए कुछ कानून बनाने पड़ेंगे। आशा की जाती है जब यह कानून इस सदन के समक्ष लाया जाएगा तो सरकार समुद्र सम्बन्धी कानूनों के विभिन्न पहलुओं के बारे में विस्तार से बताएगी तथा इस संबंध में अपने विचार भी प्रकट करेगी।

खण्ड 3 का संबंध नवी अनुसूची से है। नवी अनुसूची में 64 विधेयक सम्मिलित किए गए है और उन्हें न्यायिक पुनरीक्षा के क्षेत्र से परे किया गया है। आज न केवल कृषि सुधार विधेयक नवी अनुसूची में शामिल किए गए हैं। अपितु अन्य विधेयक भी नवी अनुसूची में शामिल किए गए हैं। कोई भी इस बात से इन्कार नहीं करेगा कि आवश्यक पदार्थ अधिनियम जैसे अधिनियम न्यायिक पुनरीक्षा से बाहर रखे जाने चाहिए और वह कानून जोकि प्रधान मंत्री के 20 सूत्री कार्यक्रम को कार्य रूप देने के लिए लाये गए है उन्हें भी न्यायिक पुनरीक्षा से बाहर रखा जाना चाहिए।

यह भी पूछा गया है कि इस समय जबकि देश में आपात स्थिति लागू है और मौलिक अधिकार निलंबित है हम इन मामलों की जांच तब तक नहीं करेंगे जब तक कि आपात स्थिति समाप्त नहीं की जाती।

यह सही है कि आपात काल से पहले अथवा आपात काल के दौरान जिन कानूनों को चुनौती दी गई है, उन्हें न्यायिक पुनरीक्षा से बाहर रखा जाये, तथापि मैं इस सम्बन्ध में सरकार को सचेत करना चाहता हूं। नवम अनुसूची में केवल प्रगतिशील तथा कल्याणकारी विधेयकों को ही रखा जाना चाहिए। यदि आप तदर्थ ढंग से नवम अनुसूची में विधेयकों को शामिल करने लग गये तो राज्य में यह प्रवृति पैदा हो जायेगी कि वह हर विधेयक को नवम अनुसूची

में शामिल करने का अनुरोध करने लगेंगे। अतः विधि मंत्री को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि ऐसी प्रवृत्ति पैदा न हो और केवल प्रगतिवादी विधेयकों को ही नवम अनुसूची में शामिल किया जाये ।

आक्षेपणीय सामग्री प्रकाशन निवारण अधिनियम आदि जैसे अधिनियमों को नवम अनुसूची में शामिल करना तो सही है, पर यह समझ में नहीं आता कि मोटर यान अधिनियम को नवम अनुसूची में किस कारण से रखा गया है। नवम अनुसूची में केवल प्रगतिशील विधेयकों को ही रखा जाना चाहिये ।

मेरी समझ में यह भी नहीं आता कि संघ लेखा विभागीकरण (कार्मिकों का आन्तरण) विधेयक, 1976 आदि जैसे विधेयकों को सभा के समक्ष क्यों लाया गया है। मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय यह स्पष्ट करेंगे कि यह विधेयक सभा के समक्ष क्यों लाया गया है और साथ ही वह सभा को यह आशवासन भी देंगे कि केवल इस आधार पर कि चूंकि ये विधान न्यायालयों को न्यायिक पुनरीक्षा से बाहर है, केन्द्रीय तथा राज्य सरकारें सभी प्रकार के विधानों को नवम सूची में समाविष्ट करने की प्रवृत्ति नहीं अपनायेंगे। आज विभिन्न न्यायालयों में भूमि सुधार सम्बन्धी लाखों मामले निलम्बित पड़े हैं। ऐसा नहीं होना चाहिये ।

इन अधिनियमों को नवम अनुसूची के क्षेत्राधिकार से बाहर रखते हुए हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि नवम अनुसूची संविधान का एक असाधारण उपबन्ध है तथा इस में केवल उन्ही विधेयकों को शामिल किया जाना चाहिये जिनका इसमें शामिल करना असाधारण परिस्थितियों में नितान्त आवश्यक हो। सभी विधेयक को इस में शामिल नहीं किया जाना चाहिये।

मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री सी० टी० दण्डपाणि (धर्मपरम्) : उपाध्यक्ष, महोदय, दो मदों को छोड़कर यह विधेयक सराहनीय है। एक मद है---आपेक्षणीय सामग्री प्रकाशन निवारण तथा दूसरी संघीय लेखा विभागीकरण (कार्मिकों का अन्तरण) विधेयक, 1976 यह विधेयक सभा के समक्ष लाने में सरकार ने आवश्यकता से अधिक विलम्ब किया है।

इस विधेयक की मद संख्या 130 के अन्तर्गत अक्षेपणीय सामग्री प्रकाशन निवारण अधिनियम आता है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि आक्षेपणीय सामग्री क्या है? मंत्री महोदय को यह स्पष्ट करना चाहिये कि आक्षेपणीय सामग्री क्या है। यह बात स्पष्ट नहीं है कि आक्षेपणीय सामग्री क्या है, क्योंकि यदि मैं एक बात कहता हूं तो वह आक्षेपणीय हो सकती है और यदि वही बात कोई दूसरा व्यक्ति कहता है तो आक्षेपणीय नहीं होती । इसलिये मद संख्या 130 का, जो कि आक्षेपणीय सामग्री से सम्बन्धित है लोप किया जाना चाहिये। इस बारे में राजनीतिक मंच पर विचार किया जाना चाहिये, जहां हम भी मौजूद हों तथा तभी इसके लिये प्रतिमान निर्धारित किये जाने चाहिये ।

दूसरे जहां तक संघ लेखाओं के विभागीकरण का सम्बन्ध है, कर्मचारियों का स्थानान्तरण प्रभावी ढंग से हो रहा है, जिससे लोगों को हानि उठानी पड़ रही है। प्रभावित हुए व्यक्तियों ने अभ्यावेदन दिये हैं। उन पर विचार किया जाना चाहिये।

कई राज्य ने भूमि सम्बन्धी कानून तथा वन अधिनियम आदि पास किये हैं तथा उन्हें इस विधेयक में शामिल किया गया है। मैं इसके लिये सरकार को बधाई देता हूं तथा आशा करता हूं कि इस विधेयक के पास हो जाने के बाद इन प्रगतिशील उपायों को कारगर ढंग से कार्य रूप दिया जायेगा।

जहां तक तस्कर और विदेशी मुद्रा छल साधक अधिनियम का सम्बन्ध है, इसे प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिये। वित्त मंत्रालय को चाहिये कि इसे उचित ढंग से क्रियान्वित किया जाये। इस सम्बन्ध में दोषी पाये जाने वाले व्यक्तियों को दण्ड दिया जाना चाहिये।

मैं डी० एम० के० दल की ओर से विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री के० सूर्यनारायण (एलरु) : जबकि मैं एक ओर से इस विधेयक का समर्थन करता हूं, दूसरी ओर यह बात मेरी समझ में नहीं आती कि सरकार ने भूमि सुधार सम्बन्धी कानून पास करने से पहले प्रत्येक विभाग तथा राज्यों से सलाह क्यों नहीं ली थी। हम दूसरी, तीसरी चौथी लोक सभा में प्रतीक्षा करते रहे हैं कि भूमि सुधार सम्बन्धी विधान लाया जायेगा। वस्तुतः यह उपाय इस दिशा में अन्तिम कदम नहीं है। इस बारे में और भी विधेयक लायेंगा। भूमि सुधार सम्बन्धी अधिनियमों को ठीक ढंग से इसलिये लागू नहीं किया जा सकता क्योंकि उनमें खामिया होती है और लोग उन खामियों का सहारा ले लेते हैं। इस लिये मैं विधि मंत्री से अनुरोध करुंगा कि वह यह सुनिश्चित करें कि भविष्य में ऐसे विधान लाने से पहले विधि मंत्रालय उनकी अच्छी तरह जांच करे।

दूसरी बात न्यायालयों के अनिर्णित पड़े मामलों के बारे में कही गई है। कुछ राज्य सरकारें इन कानूनों में संशोधन करने हेतु उचित अथवा तेजी से कार्यवाही नहीं कर रही है। क्या सरकार उन्हें केन्द्रीय भूमि सुधार अधिनियम का पालन करने का निदेश नहीं दे सकती ? अन्य बात यह है कि भूमि के सभी बेनामी आन्तरण वैध किये जा रहे है। पता नही बेनामी आन्तरणों को कैसे वैध किया जा रहा है अतः मैं मंत्री महोदय से यह अनुरोध करुंगा कि वह यह सुनिश्चित करें कि इस कानून के पास करने में ऐसी कोई खामी न रहने पाये जिससे उच्च न्यायालयों या उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर करने की गुंजाइश हो।

कुछ माननीय सदस्यों ने इस विधेयक में विद्यमान कुछ खामियों का उल्लेख किया है। श्री शिन्दे ने कुछ समय पहले कहा था कि इस में कुछ कठिनाइयां है तथा विधि मंत्रालय उन की जांच कर रहा है तथा राज्य सरकारों से आशा की जाती है कि वे इस बारे में तेजी से कार्यवाही करेंगी। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या विधि मंत्रालय ने जांच कर ली है और इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं। इस विधान से हम भूमि सुधार के मार्ग में आने वाली कठिनाइयां दूर कर सकते हैं।

जैसा कि मैंने पहले कहा है, जब कभी इस सभा में कोई विधान लाया जाये, तो वह ऐसा होना चाहिये कि उसमें न्यायालयों के हस्तक्षेप करने की कोई गुंजाइश न रहे। सरकार को कानून बनाने में कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिये। और यह सुनिश्चित करना चाहिये कि उस में कोई कमी न रहे।

इस में कोई सन्देह नहीं कि माननीय सदस्यों नें ठीक ही कहा है कि हमारे कानूनों में त्रुटियां रह जाती हैं। इसलिये यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि इन में कोई ऐसी कमी न रहे जिससे कि सम्बन्धित पक्ष न्यायालयों में जा सकें। और याचिका दायर कर सकें।

मैं विधेयक का समर्थन करता हूँ।

श्री जी० विश्वनाथन् (वान्डीवाश) : मुझे बड़ी खुशी है कि नवम अनुसूची में कुछ भूमि सुधार अधिनियम तथा भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारण सम्बन्धी अधिनियम शामिल किये जा रहे हैं। यह बहुत पहले किया जाना चाहिये था, फिर भी कभी न करने से तो देर में करना भी अच्छा है। इन अधिनियमों को नवम् अनुसूची में शामिल करने से यह विधेयक न्यायिक जांच से बाहर हो जायेंगे। इन्हें उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालयों के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकेगी। परन्तु सभी कानून त्रुटि-हीन नहीं हो सकते। इन त्रुटि पूर्ण कानूनों का अब क्या होगा। पहले तो उच्च न्यायालयों अथवा उच्चतम न्यायालयों के निर्णयों के बाद इन की त्रुटियां दूर हो जाती थी। परन्तु अब इनकी त्रुटियां कैसे दूर होंगी। इसके अतिरिक्त राज्य सरकारें भी अनेक अधिनियमों के बारे में अनुरोध करने लगेंगी कि इन्हें नवम् अनुसूची में रखा जाये। नवम् अनुसूची को सभी त्रुटि पूर्ण कानूनों का शरण स्थल नहीं बनाया जाना चाहिये।

माननीय सदस्यों ने दो अथवा तीन मदों पर आपत्ति की है। इनमें एक मोटर यान अधिनियम, 1939 है, इसको नवम् अनुसूची में शामिल किया गया है और इस प्रकार न्यायिक जांच से संरक्षण दिया गया है। इस अधिनियम के खण्ड 3, धारा 125, धारा 66 क और अध्याय चार को देखिये। इनको कभी न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई, फिर भी इसे नवम् अनुसूची में क्यों शामिल किया जा रहा है।

मद संख्या 130 और 133 अर्थात् आक्षेपणीय सामग्री प्रकाशन निवारण अधिनियम, 1976 और संघी लेखों का विभागीकरण अधिनियम, 1976 का उल्लेख किया गया है। ये कानून महत्वपूर्ण भले ही हो सकते हैं, परन्तु इन्हें प्रगतिशील नहीं कहा जा सकता। सरकार इन कानूनों से क्यों घबराती है? इन कानूनों को न्यायालयों में चुनौती कौन देगा? क्या वह अपने ही कर्मचारियों से डरती है? इन अधिनियमों को नवम् अनसूची में शामिल नहीं किया जाना चाहिये।

मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि न्यायिक हस्तक्षेप नहीं बल्कि राजनीतिक संकल्प की कमी देश में भूमि सुधार के मार्ग में मुख्य बाधा है। 1975 में यू० एन० आई० द्वारा किये गये सर्वेक्षण के अनुसार देश में भूमि सुधारों के बाद लगभग 40 लाख एकड़ भूमि वितरण के लिये उपलब्ध होनी चाहिये थी। परन्तु केवल 2.16 लाख भूमि ही फालतू घोषित की गई है तथा फालतू घोषित की गई, इस 2.16 लाख एकड़ भूमि में से केवल 62,000 एकड़ भूमि का कब्जा लिया गया है तथा इस 62,000 एकड़ भूमि में से केवल 20,000 एकड़ भूमि का ही वितरण किया गया है। वस्तुतः कानून बनाते समय हमें नरमी बरतनी चाहिये, परन्तु उसे क्रियान्वित करते समय हमें कठोरता से काम लेना चाहिये। लेकिन हमारे देश में सब कुछ उलटा हुआ है। कानून मौजूद हैं। किन्तु उन पर क्रियान्वित नहीं हुई है। इस समूची स्थिति का कारण यही है कि हम कानून तो बना देते हैं, परन्तु उन्हें क्रियान्वित नहीं करते। क्या कांग्रेस समिति अपने सदस्यों को यह निदेश दे सकती है कि वे अपने बारे में अथवा अपने सम्बन्धियों के बारे में न्यायालय में न जायें? यदि ऐसा हो जाये तो 50 प्रतिशत मामले अपने आप खत्म हो जायेंगे। कांग्रेस पार्टी ने मुख्य रुप से भूमि सुधारों के आश्वासन पर चुनाव जीता था। अतः उन्हें चाहिये कि वे इसे कार्यरूप दें। इसलिये यह स्पष्ट है कि राजनीतिक संकल्प से ही भूमि सुधार हो सकता है, केवल मात्र कानून पास करने से नहीं।

श्री बी० आर० शुक्ल (बराइच) : उपाध्यक्ष महोदय, नवम् अनुसूची का उद्देश्य यह है कि संविधान में प्रतिष्ठापित निदेशक सिद्धांतों को विधान मण्डलों द्वारा कार्य रूप दिया जाना चाहिये। संसद् अथवा राज्य विधान मंडलों के अधिनियम मूलभूत अधिकारों को भले ही कम करते हों, परन्तु न्यायालयों में चुनौती नहीं दी जानी चाहिये। नवम् अनुसूची इस दृष्टि से से खरी उतरी है।

इस विधेयक के द्वारा 64 अधिनियमों को नवम् अनुसूची में रखा जा रहा है, जिन में से 9 अधिनियम संसद् द्वारा पास किये गए हैं तथा शेष राज्य विधान मंडलों द्वारा पास किये गये हैं। संसद् द्वारा पास किये गये अधिनियमों में से मोटरयान अधिनियम, 1939 में पास किया गया था, तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में पास किया गया था। शेष अधिनियम नये हैं और अधिकांश पर इसी वर्ष सदन में चर्चा हुई है। तीन अधिनियमों को छोड़ कर अन्य अधिनियमों को नवम् अनुसूची में शामिल करने के लिये माननीय सदस्यों ने सामान्य रूप से सहमति प्रकट की है।

अधिनियमों को नवम् अनुसूची में इस लिये शामिल किया जाता है, ताकि उन्हें न्यायालयों में चुनौती न दी जा सके। यदि प्रगतिशील उपायों को लागू करने वाले किसी कानून पर उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय द्वारा लगाया गया रोक आदेश 5 वर्ष तक लागू रहे, तो चुनाव घोषणा पत्र में लोगों को दिये गये आश्वासन प्रभावहीन हो जाते हैं; क्योंकि संसद् अथवा राज्य विधान मंडल का कार्यकाल सामान्यतयः पांच वर्ष ही होता है। अतः इन सभी अधिनियमों को नवम् अनुसूची में शामिल करने के लिए सरकार का प्रयास उचित ही है, क्योंकि ये अत्याधिक महत्वपूर्ण हैं।

मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि भविष्य में जब भी किसी अधिनियम को नवम् अनुसूची में शामिल किया जाये तो उसकी एक प्रति संसद् ग्रंथालय में अवश्य रखी जाये। राज्य विधानमण्डलों को भी ऐसे ही अनुदेश दिये जायें कि उनके द्वारा किये जाने वाले अधिनियमों की प्रतियां हिन्दी तथा अंग्रेजी में संसद् ग्रंथालय को भेजी जायें।

सरकार हम पर भरोसा कर सकती है। हम इस विधेयक का पूरा समर्थन करते हैं। लेकिन हमारा यह कहना है कि संसद् की सत्ता वास्तव में सर्वोच्य समझी जाये हमें केवल श्रोता ही न समझा जाये।

अनुच्छेद 297 का संशोधन सराहनीय है। भारत की क्षेत्रीय जल सीमा का विस्तार होना चाहिये और उसकी प्रभुसत्ता के अन्तर्गत क्षेत्रीय जल सीमा की सभी भूमियां और खनिज पदार्थ आदि आने चाहिये। मंत्री जी को चाहिये कि वह 'आर्थिक क्षेत्र' शब्द का स्पष्टीकरण करें। ताकि हम इस शब्द के पूर्ण अर्थ को समझ सकें।

SARDAR SWARAN SINGH SOKHI (Jamshedpur) : Sir, I welcome this measure and congratulate the Minister for moving this amendment. This is a comprehensive Bill which covered as many as 64 Acts and placed then in the 9th Schedule of the Constitution, thus taking them out of the purview of judicial scrutiny.

This Bill is a powerful measure which will remove hurdles in the way of implementing the 20 point programme. I suggest that other progressive Acts should also be brought within the purview of this Bill and given necessary protection.

It is a matter of pleasure that some measures against smugglers and foreign exchange racketeers have also been brought within the purview of this Bill. These elements should be ruthlessly dealt with so that they may not raise their head again.

In order to give effect to the 20 point programme and the land reform measures, it is necessary that Government machinery responsible for the enforcement of these laws and for the implementation of this programme is made effective and efficient. Therefore efforts should be made to strengthen and streamline Government machinery so that the desired result may be achieved.

In Bihar there is still a large chunk of land with the Tatas. So far as I know nothing has been done about it. Government should take it over by declaring it surplus.

SHRI HARI SINGH (Khurja) : The Constitution should not be treated as a sacred book which is untouchable or unchangeable. It is a powerful instrument for promoting the welfare of a large majority of people and for fulfilling their ambitions and aspirations. And to achieve that end, a number of amendments have been incorporated in the Constitution. This Bill is also a step in the same direction.

In a recent international Conference, India has pleaded that the limit of territorial waters should be extended to 12 miles instead of 3 miles and that an exlusive economic zone should be created which should extend to 200 miles. The Government of India have also pleaded for the establishment of a sea exploiting authority. All these recommendations are highly appreciated by many countries. This Bill also gives effect to some of these recommendations and will enable us to exploit our sea resources more effectively.

Many progressive measures which have been passed by State Legislatures and by Parliament have been challanged in law courts. Consequently, these laws can not be implemented and the speed of reforms has been slowed down. This Bill will place all those laws beyond the scrutiny of law courts and thus pave way for their speedier implementaion.

डा० एच० पी० शर्मा (अलवर) : मैं इस विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। अनुच्छेद 297 के प्रस्तावित नये खंड (3) में यह बताया गया है कि राष्ट्रपति की अपेक्षा अब संसद् ही राज्य क्षेत्रीय सागर खण्ड और महाद्वीपीय मगन तट क्षेत्र अनन्य आर्थिक क्षेत्र तथा नौवहन क्षेत्रों की सीमा की परिभाषा करेगी। खंड (3) में 'भारत के और अन्य नौवहन क्षेत्र' शब्द जोड़े गये हैं जिनकी इस लिए सराहना की जाती है क्योंकि ये संविधान में और संशोधन किये जाने की अनिवार्यता का निवारण करेंगे।

संयुक्त राष्ट्र विभिन्न राष्ट्रों के भिन्न दावों पर मतैक्य बनाने की समस्या को दूर करने का प्रयास कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने दो प्रमुख सम्मेलनों का आयोजन किया है। और अब यह समुद्र के कानूनों के सम्बन्ध में तीसरे सम्मेलन का आयोजन कर रहा है हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि हम इस संशोधन द्वारा जिस प्रकार का विस्तार करना चाहते हैं संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन उसे नकारा कर सकता है।

अधिकांश देश अनन्य आर्थिक क्षेत्र का 200 मील तक विस्तार करने की संकल्पना से सहमत हैं। लेकिन दो प्रकार के राष्ट्र इसका विरोध कर रहे हैं। एक स्थल आवेष्टित राष्ट्र हैं और दूसरे बड़ी शक्तियां। ये आर्थिक क्षेत्र में गहरे समुद्रों की स्वतंत्रता पर जोर दे रहे हैं। मेरी जानकारी के अनुसार यही स्थिति है।

एक दूसरा पहलू भी है जिस पर संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा चर्चा की जा रही है। यह अण्डेमान, निकोबार, लक्षद्वीप, अमीनदीवी, मिनिकाय तथा अन्य द्वीपों के द्वीपसमूह का दर्जा देने के बारे हैं। अनन्य आर्थिक क्षेत्र का विचार इन द्वीपसमूहों से सम्बद्ध है। प्रमुख शक्तियों फिर भारत के प्रयासों का विरोध किया है। सरकार को इन द्वीप समूहों के इस दर्जे को प्राप्त करने के लिए भारी और जोरदार प्रयास करने होंगे। यह हमारे नौवहन हितों के विस्तार से सम्बद्ध है।

स्थल आवेष्टित देशों द्वारा उठाई गई आपत्तियों से इसका सीधा सम्बन्ध है। ये स्थल आवेष्टित देश आने जाने का अधिकार मांग रहे हैं। अतः इस बारे में वार्ता की जानी है। सरकार को इस देश के अधिकारों की सुरक्षा के लिए सतर्कता पूर्ण प्रयास करने होंगे।

श्री० के० नारायण राव (बोबिली): केन्द्र राज्य सम्बन्धों पर विधेयक के प्रभाव का उल्लेख किया गया है। एक माननीय सदस्य ने कहा कि राजक्षेत्रीय सागर खंड सम्बन्धी केन्द्र-राज्यों के सम्बन्धों के बारे में कोई निर्णय-विधि नहीं आया है। मैं सदन को सूचित करना चाहता हूं कि मद्रास बनाम रामनद के मामले में और अब बम्बई पत्तन न्यास प्राधिकरण के मामलों में निर्णय-विधि है, जिसका निर्णय केन्द्रीय सरकार के पक्ष में दिया गया है।

इस विधेयक से यह सुस्पष्ट हो गया है कि राज्य क्षेत्रीय खंड तथा अनन्य आर्थिक क्षेत्र और महाद्वीपीय मगन तट क्षेत्र, जो अब 'बम्बई हाई' में है में सभी प्रकार के संसाधन केन्द्र सरकार के अधीन ही होंगे। इसका यह उद्देश्य है कि राज्यों का राज्य क्षेत्रीय सागर खंड से कोई सम्बन्ध नहीं होगा। यह बात ठीक ही है। इसे केन्द्र के पास ही होना चाहिये। संविधान में किये गये इस संशोधन से स्थिति स्पष्ट हो गई है।

श्री बी० वी० नायक (कनारा): मैंने स्वयं अपने अन्य संसद् सदस्य मित्रों के साथ 'बम्बई हाई' में हो रहे कार्य को देखा है। मैंने इसी लिए इस विषय पर हो रही चर्चा में भाग लेने का निर्णय किया है। वहां बहुत बढ़िया और सही ढंग से कार्य हो रहा है।

मैंने क्योंकि उस स्थान को देखा हुआ है, अतः इसीलिए मैं उसके बारे में जानता हूं.....
(व्यवधान)

हमारे पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा इसके बारे में काफी सराहनीय कार्य किया जा रहा है। हमें लगभग 200 किलोमीटर लम्बे तथा 50 किलोमीटर चौड़े भूमि के टुकड़े से 100 लाख बैरल कच्चा तेल प्रति वर्ष प्राप्त होने की आशा है। अतः इस दृष्टि से हमारा 40वां संशोधन विधेयक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस विधेयक में राज्य क्षेत्रीय सागर खंड की व्याख्या तीन प्रकार से की गई है। हमें लगता है कि इसके बाद हमें लगभग 7 लाख वर्ग मील क्षेत्र हमें और प्राप्त हो जायेगा। मुझे इस बात की पूरी आशा है कि अद्यतन तकनीक, जिसमें कि खोज कार्य उपग्रह के सहयोग से किया जायेगा, उससे हमें बहुत-सी नई बातों का पता चलेगा तथा बहुत-सी नई वस्तुएं प्राप्त होगी।

विश्व की प्रौद्योगिकी के रूप में उन्नत बड़ी शक्तियों की वास्तविक पकड़ यही है कि गहरे समुद्र की सतह पर किस का अधिकार होना चाहिए। शान्त महासागर, हिन्द महासागर जैसे गहरे महासागर खनिजों, तेल तथा अन्य सम्पदा के वास्तविक भण्डार हैं। हमें तीसरे विश्व में एक प्रधान राष्ट्र के रूप में इन गहरे समुद्र की सतहों के सम्बन्धों में अपने ही देश में कुछ कार्यवाही तो अवश्य करनी चाहिए। यदि इन पर ध्यान नहीं दिया तो यह सम्पदा सभी प्रकार की प्रौद्योगिकी में हस्तसिद्ध विश्व के बड़े संघों की एकाधिकार हो जायेगी। ऐसी स्थिति में हमें यह मामला अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर तथा अपने देश में उठाना चाहिये। हमें समुद्र तटीय देशों की गहरे समुद्र, विशेषकर हिन्द महासागर में, सम्पदा के दावों की रक्षा के लिए सक्रिय भूमिका अदा करनी होगी। उसके लिए हमें भरसक प्रयत्न करना होगा तभी हम अपने दावों का वास्तविक लाभ उठा सकने में समर्थ हो सकेंगे।

राज्य क्षेत्रीय सागर खण्ड के भीतर मछलियां पकड़ना--अब यह समुद्र तट से 200 मील तक है--राज्य सरकार का विषय है। किसी राज्य के पास--एक भी पोत या मोटर चालित किश्ती नहीं। फिर राज्य सरकार अपने तट से 200 मील दूर तक मछलियां पकड़ने सम्बन्धी कानून को कैसे लागू कर सकती है? हम राज्य सरकारों से यह जिम्मेदारी उठाने के लिए क्यों कह रहें है जिसके लिए वे असमर्थ हैं? अतः अब समय आ गया है जब कि हमें मत्स्यपालन, विशेषकर समुद्रतटीय मत्स्यपालन और गहरे समुद्र में मत्स्यपालन या मछलियां पकड़ना केन्द्रीय विषय बनाना होगा। यदि राज्यों को यह स्वीकार्य नहीं है तो इसे यथा शीघ्र समवर्ती सूची में शामिल कर दिया जाना चाहिये।

इन शब्दों के साथ ही मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे (बेतूल) : विधेयक के बारे में अपने विचार व्यक्त करने से पूर्व पहले मैं पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा बम्बई हाई में सफलतापूर्वक किये गये कार्य के लिए उसकी सराहना करता हूं। निश्चय ही हमारे इंजीनियरों ने दिन रात एक करके वह कठिन परिश्रम किया है।

मूलतः अनुच्छेद 297 राज्य क्षेत्रीय सागर खण्ड की स्वायतता प्रदान करने वाला है। यह राज्य क्षेत्रीय सागर खण्ड 12 मील अर्थात् राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार सीमा तक होता है। 1963 में अपने संविधान में संशोधन करके अपना क्षेत्राधिकार महाद्वीपीय मगनतट भूमि से आगे तक बढ़ा दिया था। बाद में यह देखा गया कि यह नितान्त अपर्याप्त है तथा समुद्री परिवहन पद्धति को विनियमित करने और उसके कार्य-करण के लिए नई व्यवस्था किया जाना आवश्यक है। समुद्री क्षेत्र में मानव की गतिविधियों के विस्तार और विविधता के कारण तटवर्ती राज्यों की इसमें रुचि बढ़ गई तथा इसके साथ ही उनके क्षेत्राधिकार में भी धीरे-धीरे वृद्धि हुई। इस कारण हमें एक बार फिर अपने संविधान में संशोधन करने को वाध्य होना पड़ा। जिससे कि अनन्य आर्थिक क्षेत्र तथा अन्य समुद्री क्षेत्रों तक हम अपना अधिकार कर सकें।

जहां तक राज्य की स्वायत्तता का प्रश्न है तो उनमें एक क्षेत्रीय स्वायत्तता है तथा दूसरी है कार्य सम्बन्धी स्वयत्तता। केवल कुछ निश्चित कार्यों के सम्बन्ध में की कार्य-सम्बन्धी स्वायत्तता प्राप्त की जा सकती है।

अनन्य आर्थिक क्षेत्र में हम क्षेत्रीय स्वायत्तता न रख कर कार्य सम्बन्धी स्वायत्तता ही रखने जा रहें हैं। सुरक्षा सम्बन्धी गम्भीर समस्या का क्या होगा? यह देश बम्बई के अपने महत्वपूर्ण निर्माणों की रक्षा कैसे करेगा। ये निर्माण पूर्णतः आर्थिक क्षेत्र में आते हैं।

क्या मंत्री महोदय हमें वतायेगें कि हम महद्वीपीय मग्न तट भूमि की सीमा का निर्धारण हम किस प्रकार करेंगे। क्या उसका निर्धारण प्रकृति ही नहीं करती। संसद् इस सीमा को किस प्रकार निश्चित करेगी।

अनन्य आर्थिक क्षेत्र में हम अपने हितों की रक्षा किस प्रकार करेंगे? क्योंकि इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा का मूल प्रश्न निहित है, यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि क्या संविधान में पर्याप्त रूप से संशोधन किया जा रहा है जिससे कि यदि आवश्यक हो, तो हम उस दिशा में कार्रवाई कर सकें तथा हम ऐसे आवश्यक कदम भी उठा भी सकें। जिससे समुद्री वातावरण का

दूषित न होना सुनिश्चित हो जाए। इस दूषण से यह सम्भव है कि इसका प्रभाव हमारे जीवन के संसाधनों पर भी पड़े। इस प्रकार के दूषण की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए क्योंकि इससे देश का एक बड़ी प्राकृतिक संसाधन नष्ट होता है।

संविधान में नौवीं अनुसूची या अनुच्छेद 31ख मात्र दिखावे के लिए जोड़ा गया है इस कारण भी नहीं कि यह संसद् की इच्छा है न ही इसलिए कि संसद् सभी भेद-भावपूर्ण मनमाने और असंगत असंवैधानिक विधियों को मान्य करना चाहती है। यह एक सीमित उद्देश्य से किया गया है। जब संसद् ने देखा कि न्यायालय राज्यों और कभी-कभी केन्द्र को भी कुछ प्रगतिशील विधानों के सम्बन्ध में अनावश्यक रूप से तंग कर रही है तथा इन विधानों को उचित रूप से लागू करना आवश्यक समझा गया तो संविधान में यह उपबन्ध लाना पड़ा। इसी कारण संसद् अनुच्छेद 31ख के जोड़े जाने को सहमत हुई। जिस गति से सरकार 9वीं अनुसूची में विधान के बाद विधान जोड़ती जा रही है, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस प्रकार भेद-भावपूर्ण असंगत और असंवैधानिक विधानों को सुरक्षा प्रदान करना चाहती है? निश्चय ही सरकार की इसके पीछे ऐसी इच्छा नहीं है। किसी विधान को 9वीं अनुसूची में शामिल करते समय यह सुनिश्चित किया जाए कि ऐसा करना वास्तव में आवश्यक था या नहीं।

श्री धरणोधर दास (मंगलदायी) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। विधेयक के खण्ड 3 में नौवीं अनुसूची का संशोधन करने का उपबन्ध है। यह बहुत ही समयोचित संशोधन है, बल्कि यों कहा जाए कि देश में समाजवादी व्यवस्था की स्थापना करने के लिए एक बहुत ही प्रगतिशील संशोधन है। इसी के माध्यम से ही हम जनसाधारण की आकांक्षाओं को सांविधिक ढंग से क्रियान्वित रूप दे सकेंगे। विधेयक के खण्ड 3 में नौवीं अनुसूची का संशोधन करने का उपबन्ध है। यह बहुत ही समयोचित संशोधन है, बल्कि यों कहा जाए कि देश में समाजवादी व्यवस्था की स्थापना करने के लिए एक बहुत ही प्रगतिशील संशोधन है।

संसद् में 1954 में समाजवादी अर्थव्यवस्था को स्वीकार किया गया था परन्तु अब तक संविधान में इसे स्थान नहीं दिया गया था। इस सम्बन्ध में हम महत्वपूर्ण संशोधन लाए जाने की आशा करते हैं।

आसान भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारण अधिनियम, 1956 को नौवीं अनुसूची में जोड़ा गया है। यदि हम फालतू भूमि के वितरण को व्यवस्थित करना चाहते हैं तो इस अधिनियम को न्यायालयों के क्षेत्राधिकार से बाहर लाना आवश्यक है।

हमारे एक चौथाई किसान भूमिहीन हैं। सामन्तशाही को समाप्त करने के लिए यह व्यवस्था करना आवश्यक है। यह विधेयक निहित स्वार्थों द्वारा खड़ी की गई रुकावटों को समाप्त करता है। इस विधेयक को समर्थन देने में कोई हिच-किचाहट नहीं होनी चाहिए; जो प्रगति चाहते हैं उनके लिए यह मात्र शुरूआत है। इसके बजाय और क्रांतिकारी संशोधन संविधान में किए जाने चाहिएं।

श्री के० मायातेवर (डिंडीगुल) : इस विधेयक का स्वागत है। चालीसवां संशोधन विधेयक और 9वीं अनुसूची समाज विरोधी तत्वों, तस्करों, निहित स्वार्थ वाले पूंजीपतियों, चोर बाजारियों, मुनाफाखोरों आदि के लिए शत्रु के समान हैं।

इस अनन्य आर्थिक क्षेत्र को 200 मील तक बढ़ाने जा रहे हैं। मन्त्री महोदय यह बतायें कि कच्चतीबू के सम्बन्ध में इस आर्थिक क्षेत्र की स्थिति क्या होगी? अनुच्छेद 297 का संशोधन करके और आर्थिक क्षेत्र को 200 मील तक बढ़ा कर एक कानूनी त्रुटि पैदा की जा रही है, जिसके अन्तर्गत अन्य राष्ट्र इस संशोधन के विरोध में अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में जा सकते हैं। सरकार इस सम्बन्ध में जागरूक रहे।

सरकार 1970 से 31-1-1976 तक तमिलनाडु में लागू किए गए तथगथित भूमि सुधार और भूमि की अधिकतम सीमा सम्बन्धी कानूनों को इसमें जोड़ने जा रही है।

तमिलनाडु में मन्दिरों, शिक्षा संस्थाओं, अस्पतालों आदि के नाम पर गोलमाल करके भूमि का हस्तांतरण किया गया है। सरकार इस प्रकार के मामलों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने जा रही है? हमें तमिलनाडु तथा भारत भर में इस प्रकार की हेरा-फेरी से किए गए सौदों तथा बेनामी सौदों की जांच करने और पता लगाने के लिए ग्राम समितियां, तालुक समितियां, जिला समितियां, राज्य स्तर समितियां आदि का गठन करना चाहिए।

देश भर में उच्च न्यायालयों और न्यायालय के सम्मुख हजारों मामले विचाराधीन पड़े हैं। इन मामलों को तुरन्त निपटाने के लिए सरकार क्या कर रही है।

तमिलनाडु में थेन्नकम (अन्नाद्रुमक का मुखपत्र) मक्कल कुरल (जनवाणी) नवमणि और थिनामलार आदि पत्र हैं। ये प्रधान मंत्री के 20-सूत्री कार्यक्रम का समर्थन करते हैं। दो महीने पहले इन समाचारपत्रों को यह आदेश दिया गया कि वे किसी भी संसद् सदस्य के भाषण प्रकाशित न करें। सरकार इसकी जांच करे और स्थिति को ठीक करे।

DR. KAILAS (Bombay South) : I support this constitutional Amendment Bill. It has been contended that the Government has tried to bring various State laws under the Ninth Schedule. But it is not so. It has become necessary for the Government to include these laws in the ninth Schedule in order to administer economic and social justice.

At the time of the introduction of this Bill the law Minister should have informed the House as to what tarnspired at the International Conference in New York.

Objection has been raised against the inclusion of Prevention of Publication of Objectionable Matter Act in the Ninth Schedule. In fact it has become essential to include it in order to take action against those news papers which published matter as was prejudicial to the interests of the nation and was thus objectionable.

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० बी० ए० सैय्यद मुहम्मद) : कहा गया है कि सरकार ने राष्ट्र संघ तथा विभिन्न समुद्री विधि सम्बन्धी सम्मेलनों में हुई बातों की पूरी जानकारी सदन को नहीं दी है। मैं समझता हूं कि इस समय यह सब विवरण देना आवश्यक नहीं है। परन्तु यदि सदस्य चाहें तो मैं उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय विधि की मुख्य-मुख्य बातें बता सकता हूं।

इस सम्बन्ध में सभी एक मत हैं कि क्षेत्रीय समुद्र सीमा को 12 मील तक बढ़ा दिया जाए। अनन्य क्षेत्र को भी 200 मील रखने में सब एकमत हैं। जहां तक महाद्वीपीय मग्न तट भूमि का सम्बन्ध है इसे 200 मील तक बढ़ा दिया जायेगा और यदि इसे इससे आगे बढ़ाया जाता है तो यह महाद्वीपीय मग्न तट भूमि के किनारों तक ही बढ़ाया जा सकता है और यही स्थिति एक शर्त के रूप में मानी गई है।

अनन्य आर्थिक क्षेत्र आधार पंक्ति से 200 मील तक या राज्य क्षेत्रीय सागर से 188 मील तक होगा। यदि यह स्वीकार कर लिया जाता है तो इसे विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय विधि के रूप में मान्यता मिल जायेगी।

प्रस्तावित संशोधन केवल समर्थनकारी उपबन्ध है। यह कोई विधान नहीं है अथवा यह अनिवार्य रूप से लागू नहीं होगा। इससे संसद् कुछ मामलों में विधान पास करने में समर्थ होगी।

आने वाले जहाजों तथा आर्थिक गतिविधियों में हस्तक्षेप किये जाने के डर का उल्लेख किया गया है। जहां तक राज्य क्षेत्रीय सागर खण्ड का सम्बन्ध है यह वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय विधियों के अन्तर्गत आ जाता है। परन्तु अन्य दो के सम्बन्ध में आशा है कि इन क्षेत्रों के सम्बन्ध में उचित समय पर विधान बनाये जायेंगे। जब सरकार इस विधान को पास करेगी तो उठायी गई सभी बातों पर विचार किया जायेगा और तदानुसार आवश्यक उपबन्ध किये जाएंगे।

विभिन्न अधिनियम को 9वीं अनुसूची में शामिल किये जाने सम्बन्धी अनुच्छेद 31ख केवल भूमि सुधार सम्बन्धी कानूनों को ही शामिल करने की शक्ति देने तक सीमित नहीं है। इस सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायालय अपना निर्णय दे चुका है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त ने विचाराधीन मामले की बात का उल्लेख किया है। हमने इसे भूतलक्षी काल से लागू नहीं किया है परन्तु अनुच्छेद 31ख की शब्दावली की व्याख्या करने पर यह माना गया है कि यह भूतलक्षी समय से ही प्रभावी होगी।

मोटर गाड़ी अधिनियम, 1939, आक्षेपणीय सामग्री प्रकाशन निवारण अधिनियम और संघ लेखा विभागीयकरण विधेयक, 1976 को नवीं अनुसूची में जोड़े जाने के बारे में आपत्ति उठाई गई है। हमारे विचार से इस अधिनियम को सम्मिलित करना जनहित में है।

जहां तक मोटर गाड़ी अधिनियम का सम्बन्ध है, परिवहन का राष्ट्रीयकरण जनहित में है और हम समझते हैं कि जब तक इस विषय को नवीं अनुसूची में नहीं रखा जायेगा, राष्ट्रीयकरण के मार्ग में बाधा पड़ सकती है। उद्देश्य और कारण सम्बन्धी वक्तव्य में भी यही कहा गया है कि यह विधेयक जनहित में लाया गया है और इसलिए हम वैसा कर रहें हैं।

जहां तक आक्षेपणीय सामग्री प्रकाशन निवारक विधेयक, 1976 सम्बन्धी प्रविष्टि 130 का सम्बन्ध है, मूलत : हम अनुच्छेद 19 के अन्तर्गत प्राप्त स्वतंत्रता पर एक उचित सीमा तक नियंत्रण रखना चाहते हैं। यह संभव है कि उचित सीमा के सम्बन्ध में मतभेद हों। नवीं अनुसूची में इसे रखते हुए हमने इस बात को ध्यान में रखा और इससे कुछ गैर-लोकतांत्रिक गतिविधियों को रोकने के लिए रखा गया है। ···(व्यवधान) क्योंकि इस स्वतन्त्रता का दुरुपयोग किए जाने की सम्भावना है, इसीलिए यह संवैधानिक उपबन्ध किया गया है।

संघ लेखा (कार्मिक स्थानान्तरण विभागीयकरण अधिनियम, 1976) सम्बन्धी प्रविष्टि भी जन हित में है। अर्थव्यवस्था का कार्य है संघ लेखों का नियंत्रण और इनका प्रबन्ध। इसका सम्बन्ध देश की अर्थ-व्यवस्था और वित्तीय प्रबन्ध से है। और इसे सुव्यवस्थित किए जाने पर मैं नहीं समझता कि कोई यह कहे कि यह जनहित में नहीं है।

जहां तक आपात स्थिति का सम्बन्ध है, अनुच्छेद 14 और 19 के सम्बन्ध में एक प्रश्न उठाया गया था। इसका उत्तर हम तीन प्रकार से दे सकते हैं। पहला यह कि संवैधानिक संशोधन आपात स्थिति के दौरान ही लागू नहीं रहेगा वरन् यह उसके बाद भी लागू रहेगा। दूसरे बड़ी संख्या में याचिकाएं दायर की गई हैं और रोकादेश प्राप्त किए गए हैं तथा आपात स्थिति के कारण अनुच्छेद 358-359 के उपबन्धों के कारण वे विचाराधीन पड़े हैं और कुछ नहीं किया जा सका है तीसरे, मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन किए जाने के अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय का एक याचिका के बारे में लिखित निर्णय है जो स्वीकार नहीं किया जा सकता। कुछ उच्च न्यायालयों ने रोकादेश जारी कर दिया है इसलिए इस अधिनियम को अप्रभावकारी बनाए जाने से रोकने के लिए यह सुरक्षा करनी पड़ी।

श्री जी० विश्वनाथन : एक समस्या है (**व्यवधान**) यदि यह विधेयक अधिनियम बन जाता है तो फिर राज्य क्षेत्रीय सागर खंड तथा अनन्य आर्थिक क्षेत्र का निर्धारण कौन करेगा ? क्योंकि राष्ट्रपति की उद्घोषणा तो निष्प्रभावी हो जायेगी ·····(**व्यवधान**)

डा० वी० ए० सैयद मुहम्मद : उद्घोषणाएं जारी की गई हैं·····(**व्यवधान**) इस अधिनियम को पारित करने से अन्य कानून पारित करने की संसद् की शक्ति प्रभावित नहीं होगी।

सभापति महोदय : मांग को ध्यान में रखते हुए ·····(**व्यवधान**)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इस विधेयक को पारित करने से रोकादेश तथा न्यायालयों में चल रही अन्य कार्यवाहियां निष्प्रभावी हो जायेंगी।·····(**व्यवधान**)।

डा० वी० ए० सैयद मुहम्मद : नहीं वे जारी रहेंगी।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : विवरण और कारणों के विवरण में बताया गया है कि न्यायिक हस्तक्षेप को ध्यान में रखते हुए बड़ी संख्या में याचिकाएं जारी की गई हैं, स्थगन आदेश दिए गए हैं जिससे भूमि सुधार तथा अन्य आर्थिक सुधार के कार्य में बाधा उत्पन्न हुई है। इसलिए यह विधेयक पारित करना आवश्यक है।

डा० वी० ए० सैयद मुहम्मद : ये अन्य मामले हैं। वे इससे नहीं निपटाए जा सकते हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : तो फिर इस विधेयक को पारित करने का क्या लाभ है।

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरमैया) : क्या मैं स्थिति स्पष्ट कर दूं·····(**व्यवधान**) जब एक बार संविधान में संशोधन हो जाता है और नवीं अनुसूची में कुछ कानून सम्मिलित कर दिए जाते हैं तो उन्हें नवीं अनुसूची में सम्मिलित करने से पूर्व न्यायालय द्वारा दिया जाने वाला कोई भी व्यादेश वापस लेना होगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बर्दवान) : नहीं-नहीं (**व्यवधान**)

श्री एच० एन० मुखर्जी (कलकत्ता-उत्तर पूर्व) : मंत्री जी को इस विधेयक के उपबन्धों की सही व्याख्या और प्रभाव बताना चाहिए। अन्यथा इस विधेयक को पारित करने का कोई लाभ नहीं है। मंत्री जी को इस बात का सही उत्तर देना चाहिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी : नवीं अनुसूची में किसी अधिनियम को सम्मिलित करने का यह प्रभाव होता है कि अधिनियम की वैधता को चुनौती नहीं दी जा सकती चाहे वे संविधान के भाग III के उपबंधों के विरुद्ध भी हों। इस आधार पर उसे शक्ति बाह्य घोषित नहीं किया जा सकता। किन्तु हजारों लिखित याचिकाएं हैं जिनमें विधान की वैधता को तो चुनौती नहीं दी गई किन्तु वहां कार्यकारी सम्बन्धी कार्यवाहियों को चुनौती दी गई है। नवीं अनुसूची ऐसे मामलों को संरक्षण प्रदान नहीं करती।

डा० वी० ए० सैयद मुहम्मद : आपात स्थिति के दौरान दिए गए स्थगन आदेशों के बारे में क्या होगा, इस पर मैंने छः महाधिवक्ताओं के साथ बात-चीत की और हम सब इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जब तक आपात स्थिति समाप्त नहीं होती तब तक उन्हें वापस नहीं लिया जा सकता।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या स्थगन आदेश केवल आपात स्थिति के दौरान ही दिए गए हैं? लगभग 6 लाख स्थगन आदेश हैं। खेद है कि इतनी महत्वपूर्ण बात पर चर्चा हो रही है और प्रधान मंत्री यहां नहीं हैं। हम जानना चाहते हैं कि क्या इस विधयक से वे बाधाएं दूर हो जायेंगी जोकि न्यायालय के हस्तक्षेप के कारण भूमि सुधार कार्यों में बाधक बन गई हैं।

श्री सी० एम० स्टीफन : श्री इन्द्रजीत गुप्त द्वारा उठाये गए प्रश्न का उत्तर अनुच्छेद 359 को पढ़ देना ही पर्याप्त नहीं है। पहला प्रश्न यह है कि क्या वे स्थगन आदेश स्वतः ही अवैध हो जायेंगे और दूसरा प्रश्न यह है कि चूंकि इन अधिनियमों को अनुच्छेद 31ख के अन्तर्गत रख लिया गया है, तो क्या सरकार उन्हें अवैध करार करेगी। अनुच्छेद 359 इस प्रश्न का उत्तर नहीं है।

श्री के० नारायण राव : इस संशोधन के उद्देश्य का स्थगन आदेशों से कोई सम्बन्ध नहीं है। ..... (**व्यवधान**)

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी : मैं मंत्री जी से एक बात जानना चाहता हूं कि इस संवैधानिक संशोधन विधेयक पारित करने के पश्चात क्या सरकार उन स्थगन आदेशों को समाप्त कर लेगी? यदि सरकार के पास स्थगन आदेशों को समाप्त करने के लिये पूछने की शक्ति है और यदि इस सम्बन्ध में अनुरोध किया जाता है तो न्यायालय का आदेश क्या होगा..... (**व्यवधान**)

डा० वी० ए० सैयद मुहम्मद : स्थगन आदेशों को समाप्त करने के लिए राज्य न्यायालय के समक्ष बताएंगे कि यह संशोधन पारित कर लिया गया है और अधिनियम को नवीं अनुसूची में रख लिया गया है, इसलिए स्थगन आदेश समाप्त किया जाना चाहिए..... (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : किन्तु प्रश्न अभी यह है कि आपात स्थिति के बाद क्या होगा? यह प्रक्रिया का मामला है। सभी सदस्यों ने नवीं अनुसूची में जोड़े गए उपबन्धों के बारे में शिकायत और आशंका व्यक्त की है।

अब मैं श्री दीनेन भट्टाचार्य का संशोधन संख्या 7 सभा में मतदान के लिए रखता हूं :—

प्रश्न यह है :—

"कि विधेयक को 16 अगस्त, 1976 तक उस पर राय जानने के लिए परिचालित किया जाये"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

The motion was negatived.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि भारत के संविधान को और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ ।

The Lok Sabha Divided.

पक्ष में 320
Ayes
विपक्ष में 3
Noes.

प्रस्ताव सभा की कुल सदस्यता के बहुमत से और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई से अन्यून बहुमत से स्वीकृत हुआ ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

खण्ड 2

अध्यक्ष महोदय : इस पर कोई संशोधन नहीं है, अतः मैं खंड 2 को सभा के मतदान के लिए रखता हूं । प्रश्न यह है :—

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ ।

The Lok Sabha divided.

पक्ष में : 329
Ayes.
विपक्ष में : 1
Noes.

प्रस्ताव सभा की कुल सदस्यता के बहुमत से तथा उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यून बहुमत से स्वीकृत हुआ ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ा गया

Clause 2 was added to the Bill.

खण्ड 3

श्री सी० के० चन्द्रप्पन (तेल्लीचेरी) : मैं अपना संशोधन संख्या 8 पेश करता हूं ।

श्री एम० कत्तामुतु : मैं संशोधन संख्या 9 पेश करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : संशोधन संख्या 11 संशोधन संख्या 8 के समान है ।

श्री दिनेश जोरदार (माल्दा) : मैं अपना संशोधन संख्या 12 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : आक्षेपणीय सामग्री प्रकाशन निवारक अधिनियम, 1976 एक काला अधिनियम है । यह उस सामग्री के प्रकाशन पर रोक लगाता है जिसका प्रकाशन लोकतन्त्र के लिये आवश्यक है । इसलिए इसे संविधान की सुरक्षा प्रदान नहीं की जानी चाहिए । केवल समाज को प्रगति की दिशा में ले जाने वाले प्रगतिशील अधिनियमों को ही सुरक्षा प्रदान की जाये ।

श्री एम० कत्तामुत्तु : अपने संशोधन द्वारा मैं यही कहना चाहता हूं कि कुछ दोषपूर्ण अधिनियमों को 9वीं अनुसूची में जोड़ा जा रहा है । उदाहरणत: तमिलनाडु के 13 अधिनियमों को इसमें जोड़ने का प्रस्ताव है जो केवल दोषपूर्ण ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय मार्गदर्शी सिद्धान्त के विरुद्ध है ।

SHRI RAMAVTAR SHASTRI (Patna) : The Prevention of Publication of Objectionable Matters Act, 1976 has been included in the 9th Schedule through this Bill. This is a black Act and goes against the interest of the press and the people. Therefore, this Act should be excluded from this Bill.

I wonder as to why a number of progressive Acts passed by Bihar Government recently were not included in this Bill. The Chief Minister of Bihar has also submitted a Memorandum to the Prime Minister recently in which he has drawn attention to the fact that many of these Acts could not be implemented because of the intervention by the courts. The Government should look into it and include these Acts also in the Bill.

श्री दिनेन भट्टाचार्य : आक्षेपणीय सामग्री प्रकाशन निवारण अधिनियम, 1976 किसी भी व्यक्ति को अपनी शिकायतें सरकार के ध्यान में लाने के लिये सामान्य पुस्तिकाएं निकालने पर प्रतिबन्ध लगाता है । इस अधिनियम को 9वीं अनुसूची में शामिल करके सरकार किसी भी व्यक्ति को अदालत में जाकर इस अधिनियम को चुनौती देने से रोकती है । यह उचित नहीं है ।

सरकार संघ लेखाओं के विभागीकरण को सामान्य रूप में ले रही है और उसका दावा है कि यह जनहित में किया जा रहा है । परन्तु एक व्यक्ति, जो कलकत्ता में काम कर रहा है उसे अचानक स्थानान्तरित कर दिया जाता है, तो इसका क्या होगा ? सरकार ने इस पर विचार नहीं किया है । आक्षेपणीय सामग्री प्रकाशन अधिनियम, 1976 को 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया जाना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : इसे व्यवहार में लाया जाता है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : सरकार तमिलनाडु के विधानों के बारे में दुबारा विचार करे, जो राष्ट्रीय मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुरूप नहीं हैं । दूसरे बहुत से प्रगतिशील सामाजिक विधानों को विधेयक में शामिल नहीं किया गया है । मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण दें ।

डा० वी० ए० सैयद मुहम्मद : जहां तक तमिलनाडु के अधिनियमों का इस विधेयक में सम्मिलित किये जाने का सम्बन्ध है; समस्त 13 अधिनियम संशोधी अधिनियम हैं । मुख्य अधिनियम पहले ही से 9वीं अनुसूची में शामिल हैं ।

जहां तक बिहार में पास किये विधानों को 9वीं अनुसूची में शामिल किये जाने का सम्बन्ध है, जब बिहार सरकार उन्हें शामिल करने का अनुरोध करेगी तो इस पर विचार किया जायेगा ।

संशोधन संख्या 9 सभा की अनुमति से वापस लिया गया ।

Amendment No. 9 was, by leave, withdrawn.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"पृष्ठ 2, पंक्ति 10 और 11 का लोप किया जाये" । (8)

लोक सभा में मत विभाजन हुआ ।

The Lok Sabha divided.

पक्ष में : 36

Ayes

विपक्ष में : 287

Noes

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

The motion was negatived.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"पृष्ठ 2—

पंक्ति 16 और 17 का लोप किया जाये" । (12)

लोक सभा में मत विभाजन हुआ ।

The Lok Sabha divided.

पक्ष में : 34

Ayes

विपक्ष में : 294

Noes

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

The motion was negatived

श्री दिनेन भट्टाचार्य : हम मद 130 और 133 अर्थात् आक्षेपणीय सामग्री निवारक अधिनियम 1976 संघ लेखों का विभागीयकरण (का स्थानान्तरण) अधिनियम 1976 के 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किये जाने का विरोध करते हुए सभा त्यागते हैं ।

श्री दिनेन भट्टाचार्य तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से उठकर चले गये ।

(Shri Dinen Bhattacharyya and some other hon. members then left the House.)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 3 विधेयक का अंग बने"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ ।

Lok Sabha divided.

पक्ष में : 311

Ayes

विपक्ष में : निल

Noes

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 3 was added to the Bill.

खण्ड 1

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 1, पंक्ति 3 और 4 "(42वां संशोधन)" "(Forty-second Amendment)" के स्थान पर "(40वां संशोधन)" "(Fourtieth Amendment)" प्रतिस्थापित किया जाये । (13)

डा० वी० ए० सैय्यद मुहम्मद

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 1, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 1, as amended, was added to the bill.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अधिनियमन सूत्र विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

The Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

डा० वी० ए० सैय्यद मुहम्मद : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ

Lok Sabha divided.

पक्ष में : 313
Ayes

विपक्ष में : 1
Noes

प्रस्ताव सभा की कुल सदस्यता के बहुमत से तथा उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों से दो-तिहाई से अन्यून बहुमत से स्वीकृत हुआ ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

इसके पश्चात् लोक सभा बुधवार, 26 मई, 1976/5 ज्येष्ठ 1898 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, May 26, 1976, Jyaistha 5, 1898 (Saka).

515 LSS/76—GIPF.